वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 1988 – 89

सत्यमेव जयते

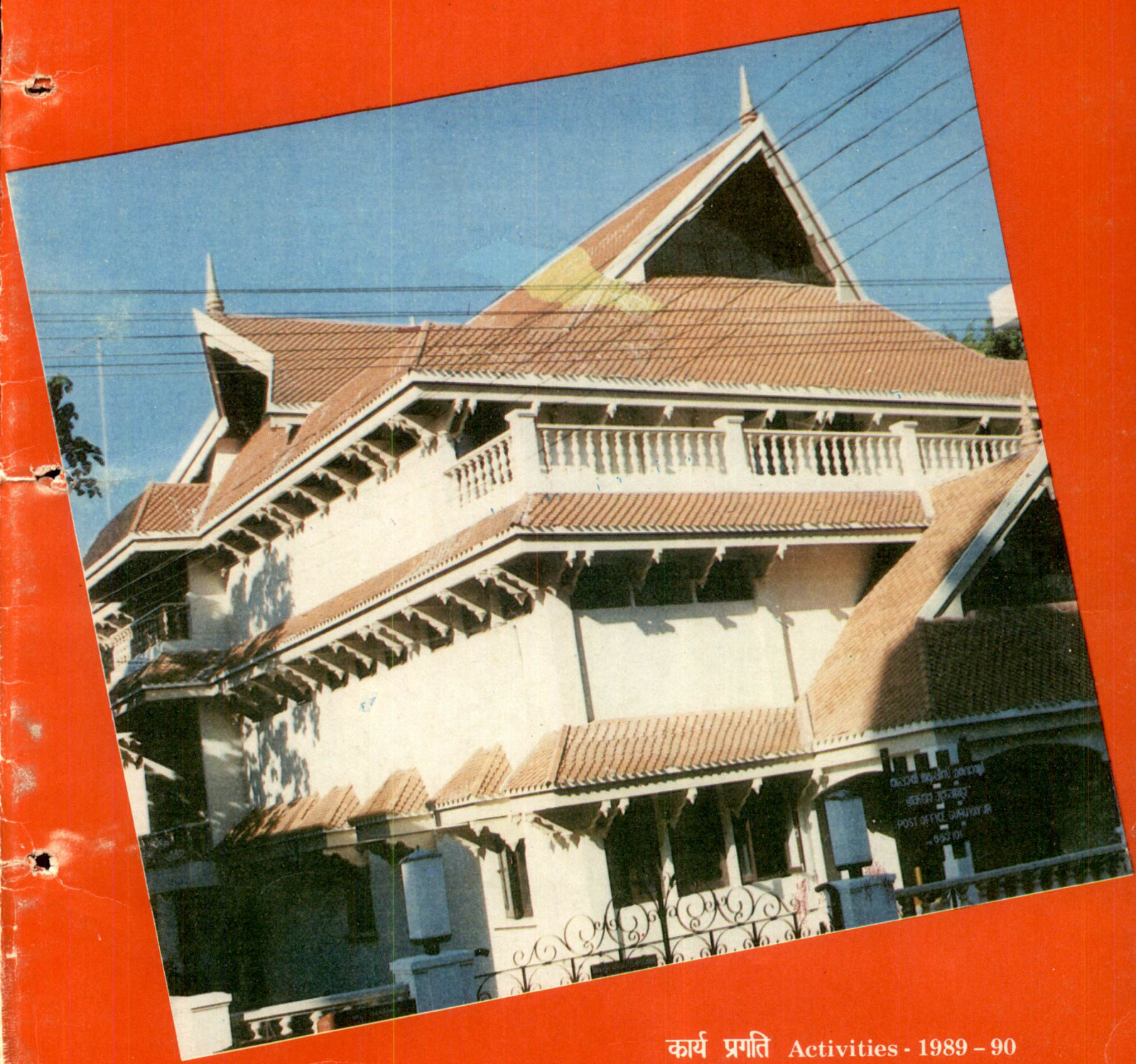

कार्य प्रगति Activities - 1989 – 90

भारतीय डाक विभाग Department of Posts

विषय सूची

पुनरीक्षा	1
डाक प्रचालन में सुधार	4
मानव संसाधन	14
डाक वित वित्त	19
प्रबंध	22
कार्य प्रगति	23

Contents

Overview	25
Improving Postal Operations	27
Human Resources	36
Postal Finances	40
Management	43
Activities	45
Statistical Supplements	47

Cover Photograph: Postal Architecture of Guruvayur Post Office

पुनरीक्षा

समूचे विश्व में डाक प्रशासन इस समय परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं । सातवें दशक के अंतिम चरण में ही संचार के क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी में अभिनव परिवर्तन होने शुरू हो गए थे । आठवें दशक की शुरूआत में ही लोगों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी कि विकसित विश्व में डाक सेवाएं शीघ्र ही पार्श्व में चली जाएंगी, और विकासशील देशों में इनकी भूमिका अत्यंत कम रहेगी । हालांकि, ये भविष्यवाणियां अभी तक सच नहीं हुई हैं । तथापि, वास्तविकता तो यही है कि संचार के क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं और डाक सेवाओं को एक रचनात्मक एवं नवीन परिवर्तन लाकर उक्त क्षेत्र में आए परिवर्तनों का उत्तर देना होगा ।

हालांकि, उच्च प्रौद्योगिकी से डाकघर को कोई वास्तविक खतरा नहीं है, क्योंकि उच्च प्रौद्योगिकी डाक प्रणालियों में निश्चित भूमिका निभा सकती है । डाक के शीघ्र निपटान में स्थान और समय के अभाव की समस्या अंततोगत्वा नए प्रौद्योगिकीय उपायों की शुरूआत करके ही सुलझाई जा सकती है । इसी प्रकार, भारतीय डाकघर को, जिसे विशाल राशि के लाखों लेने-देन कागजों पर दर्ज करने पड़ते हैं, जल्दी ही कम्प्यूटरीकरण प्रणाली को अपनाना होगा ।

डाक प्रणाली को निजी उद्यमों की एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है । अनेक दबावों के कारण, और विशेषकर डाकघर द्वारा निपटाई जाने वाली डाक की विशाल मात्रा के कारण, डाक प्रणाली हमेशा पत्रों और पैकेटों के लिए तेज संचारण माध्यम प्रदान नहीं कर सकती । इसलिए, निजी उद्यम, कूरिअरों के रूप में समूचे विश्व में फल-फूल रहे हैं । भारतीय डाक प्रशासन ने रचनात्मक ढंग से प्राइवेट एंटरप्राइज द्वारा इन अतिक्रमणों का उत्तर दिया है । स्पीड पोस्ट की शुरूआत और डाक लाने-ले-जाने के अलावा रुपये भेजने की इसकी सफल कार्यप्रणाली कूरिअरों को प्रभावशाली उत्तर दे रही है । हम रोजगार के अवसरों को कम किए बिना और कर्मचारियों को सरप्लस किए बिना दैनिक कार्य-प्रचालन में उच्च प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने के बारे में विचार कर रहे हैं एवं नीतियां बना रहे हैं । विभाग के वर्तमान कर्मचारियों को बेहतर और अतिरिक्त कार्यकुशल बनाने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है ।

पिछले एक दशक या उससे भी अधिक समय से, भारतीय डाकघर ने संसाधनों का दबाव महसूस किया है । डाक सेवाओं द्वारा अर्जित राजस्व, डाक सेवाओं को चलाने के लिए आवश्यक राशि से कम पड़ता है । हालांकि कर्मचारियों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी कर्मचारियों पर हुआ खर्च ही व्यय का 80 प्रतिशत रहा है । दूसरी ओर, बढ़ते हुए डाक परियात को देखते हुए, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि न होने से अलग समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं । पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग ने इस क्षेत्र में भी नई पहल की है ।

डाक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता है । हमारी 75 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विगत में डाक नेटवर्क का अत्यंत अधिक विस्तार हुआ है और ग्रामीण परिदृश्य पर डाकघर ने एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है । तथापि, संसाधनों के दबाव और पर्याप्त परियात के अभाव में हाल के वर्षों में विकास की गति धीमी रही । चूंकि डाकघर सामान्य जनता की सेवा करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस व्यवस्था को मजबूत बनाना व इसका विस्तार करना डाक विभाग के कर्तव्यों में से एक है । पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विभाग ने अपना ध्यान नए डाकघर खोलने के लिए नए मानदंड बनाने की ओर केन्द्रित किया । ग्रामीण क्षेत्रों को डाक सुविधाओं ने किस प्रकार प्रभावित किया है इसकी वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अध्ययन

किए जा रहे हैं । डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंचायत डाक सेवक योजना और पंचायत ग्राम की अवधारणा उक्त दृष्टि से, मुख्य विषय रहा है । इन योजनाओं की पुनरीक्षा की गई और उक्त दोनों योजनाओं का नियंत्रित विस्तार करने पर विचार किया गया । डाक विभाग की राजस्व अर्जित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए राजस्व अर्जित करने वाले नए क्षेत्रों और नई सेवाएं शुरू करने की भी जांच की जा रही है । इस समय लोगों को डाक सेवाएं एक ऐसी लागत पर प्रदान की जा रही हैं जो प्रत्येक सेवा पर आने वाले वास्तविक खर्च की तुलना में काफी कम है । अतः लागत में कमी केवल तभी आ सकती है, यदि सेवाओं को इस प्रकार अनुकूल बनाया जाए । ताकि ऐसे निगमों और अन्य उपभोक्ताओं से और अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके जो डाक सेवाओं का व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं ।

विभाग की नीति संबंधी कार्य-सूची में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने का प्रश्न एक महत्वपूर्ण नई मद है । अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को सरकार के अधीन सिविल पदों का धारक माना जाता है । चूंकि वे केवल अंशकालिक आधार पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें मुख्यतः कार्यभार से जुड़े फार्मूले के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है । हमारा ध्यान इस ओर भी गया है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाले पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के लिए क्या कोई बेहतर प्रणाली शुरू की जा सकती है और ऐसी नीतिगत पहल करने पर जो अतिरिक्त लागत आएगी क्या उसे राजस्व अर्जित करने वाली अन्य सेवाओं से पूरा किया जा सकेगा ।

चूंकि, डाक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक सेवा पर जो लागत आती है, वह उसके लिए किए जाने वाले वास्तविक खर्च की तुलना में काफी अधिक होती है, इसलिए भारतीय डाक प्रणाली को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । डाक परियात में संतोषजनक दर से वृद्धि होती रही है और परियात में हुई प्रत्येक वृद्धि के साथ खर्चा भी बढ़ा है और इसी प्रकार आय और खर्च के बीच भी अंतर बढ़ता रहा है । हालांकि, सरकार डाक सेवा को आय का साधन तो नहीं मानती, लेकिन लक्ष्य यह है कि ये सेवा अपना खर्चा स्वयं पूरा करे, या फिर कम से कम अपने घाटे को नियंत्रित रखे । विभाग ने अपनी कार्यक्षमता को घटाए बगैर किफायत के लिए संगठित प्रयास किए हैं । इन प्रयासों के फलस्वरूप घाटे में कमी आई । वर्ष 1988-89 में घाटा 169.70 करोड़ रु. तक सीमित रहा है जबकि 1987-88 में विभाग को 190.90 करोड़ रु. का घाटा हुआ था ।

पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल डाक परियात 4628 मिलियन था जबकि वर्ष 1987-88 में यह 4612 मिलियन रहा था ।

वर्ष के दौरान जिन महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया, उनमें कर्मचारियों को अपनी विशिष्टता पहचान कर उन्हें अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करना भी था । इस बात को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर मेघदूत पुरस्कार और क्षेत्रीय स्तर पर डाक सेवक पुरस्कार योजना का विस्तार किया गया और उसे अधिक आकर्षक बनाया गया । खेल एवं कल्याण कार्यकलापों को बढ़ाने की दिशा में भी पर्याप्त ध्यान दिया गया । विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला ।

विभाग को 25.5.1989 को एक दिन की हड़ताल का सामना करना पड़ा । इस हड़ताल का आह्वान कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन में से एक महासंघ द्वारा किया गया था । हालांकि, महासंघ की सभी उचित मांगों को पूरा करने और उन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई चल रही थी व उनके साथ निरन्तर बातचीत की जा रही थी, फिर भी उक्त महासंघ ने एक दिन की हड़ताल करना ठीक समझा । चूंकि, कर्मचारियों के काफी बड़े वर्ग ने हड़ताल के इस आह्वान पर कोई उत्साह नहीं दिखाया, इसलिए सेवाओं में कोई खास रुकावट नहीं आई । अच्छे नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की पिछले पचास वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही अपनी परम्परा की भावना के अनुरूप, विभाग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सभी मामलों पर विचार-विमर्श करता रहा ।

क्षेत्रीय कार्यालयों में उच्च स्तर की प्रशासन व्यवस्था कायम करने के लिए सर्किलों के संरचनात्मक स्वरूप को पुनर्गठित किया जा

रहा है । इस नई योजना के अधीन, देश में डाक सर्किल तो 19 ही रहेंगे लेकिन क्षेत्रीय-कार्यालय (रिज़न) 59 होंगे तथा प्रत्येक क्षेत्रीय-कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल या उससे भी उच्च स्तर के अधिकारी के अधीन रहेगा । कार्यक्षमता को सुधारने तथा कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर व अपने काम से मनस्तोष प्राप्त करने के अवसर प्रदान कराने के उद्देश्य से कुछ अन्य प्रचालन संवर्गों का पुनर्गठन करने के बारे में भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

कुल मिलाकर, वर्ष 1988-89 को देश में डाक सेवाओं के विकास के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा सकता है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक एवं नवीन कार्यक्रम बनाए गए हैं, तथा दूरगामी उपायों की शुरूआत की गई है । जहां तक विभाग की वित्तीय स्थिति का संबंध है इसमें थोड़ा-बहुत सुधार तो हुआ है और अधिक राजस्व अर्जित करने वाली नई-नई योजनाओं को चालू करने के फलस्वरूप, ऐसी संभावना है कि इसमें अभी और सुधार होगा ।

डाक प्रचालन में सुधार

लक्ष्य

इस वर्ष सेवा की गुणवत्ता में सुधार व इसका विस्तार करने तथा उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्ट करने का हमारा प्रयास रहा है । हमारी सम्पूर्ण प्रचालन व्यवस्था इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगी हुई है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मौजूदा नेटवर्क को ठोस बनाया गया और उपभोक्ताओं को पूरी तरह संतुष्ट करने तथा सेवा को ग्राह्य बनाने के लिए अनेक नए उपाय किए गए ।

डाक नेटवर्क का विस्तार

31.3.1989 की स्थिति के अनुसार, डाक नेटवर्क के अंतर्गत 1,45,238 डाकघर थे, जिनमें 1,29,045 ग्रामीण क्षेत्रों में और 16,193 शहरी क्षेत्रों में थे । प्रत्येक डाकघर औसतन 22.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा 4718 लोगों को सेवा प्रदान करता है । विकास के इस स्तर को देखते हुए, देश, विश्व डाक संघ (यू.पी.यू.) द्वारा अपनाए गए मानदंड भलीभांति पूरे करता है जिनमें यह व्यवस्था है कि औसतन 20 से 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए अथवा 3,000 से 6,000 तक की जनसंख्या के लिए एक डाकघर होना चाहिए । देश में कुल 4,94,661 लेटर बॉक्स थे, जिनमें से 4,12,506 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 82,155 शहरी क्षेत्रों में थे ।

ग्रामीण डाक सेवाओं में विस्तार को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से घाटे की स्वीकार्य सीमा की अवधारणा (सामान्य क्षेत्रों मे प्रतिवर्ष प्रति डाकघर 2,400 रु. तथा पहाड़ी, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में 4,800 रु.) को छोड़ दिया गया । अब नये डाकघर इस शर्त पर खोले जा रहे हैं कि इनसे सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आय लागत का $33\frac{1}{3}$ % तथा पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 15% हो ।

वार्षिक योजना 1988–89 के अंतर्गत मंजूर किये गए 2548 नए डाकघरों में से, 569 डाकघर (22.33%) विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू–कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश) तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए मंजूर किए गए । अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 7 द्वीप समूहों (रुटलैण्ड, ट्रिंकट, लिटल निकोबार, पील, कोंडुल, पुलोमिलो और स्ट्रेट आईलैंड) को पहली बार राष्ट्रीय डाक नेटवर्क में लाया गया है । इस वर्ष के दौरान 807 नए डाकघर खोले गए ।

इस वर्ष के दौरान पंचायत डाक सेवक योजना में आगे और विस्तार किया गया । इस वर्ष के दौरान 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2878 ग्राम पंचायतों में यह योजना चालू की गई ।

डाक परियात

डाकघरों की संख्या

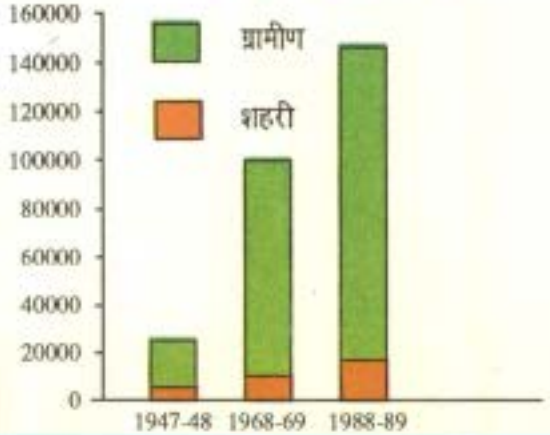

डाक परियात में निरन्तर तेजी से वृद्धि होती जा रही है । वर्ष के दौरान, विभाग ने 4628 मीलियन डाक वस्तुओं का निस्टान किया । जावक विदेश पार्सल परियात में मामूली सी कमी आई । गत वर्ष 2.41 लाख के परियात की तुलना में जावक विदेश पार्सलों की कुल संख्या 2.18 लाख थी । निस्टान किए गए आवक विदेश पार्सलों की संख्या 5.62 लाख थी जबकि गत वर्ष यह 6.3 लाख थी । पारगमन में निपटाये गए पार्सलों की संख्या 12535 थी ।

1980-81 से डाक परियात

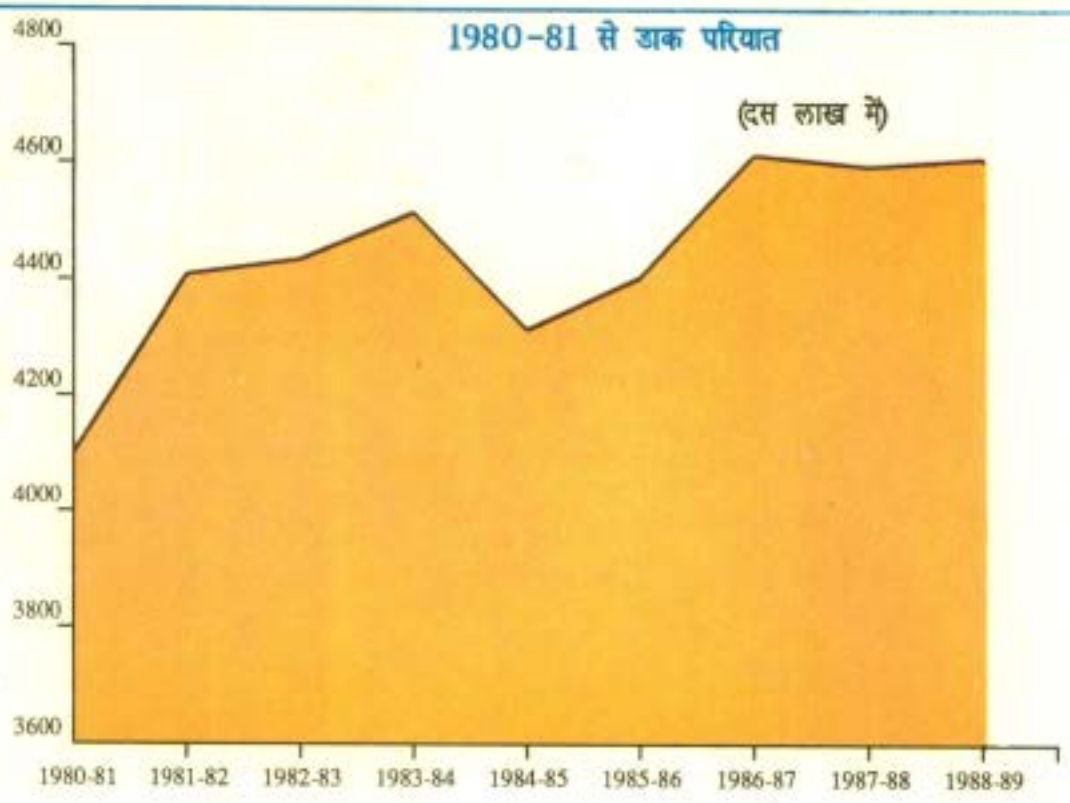

मदवार डाक परियात

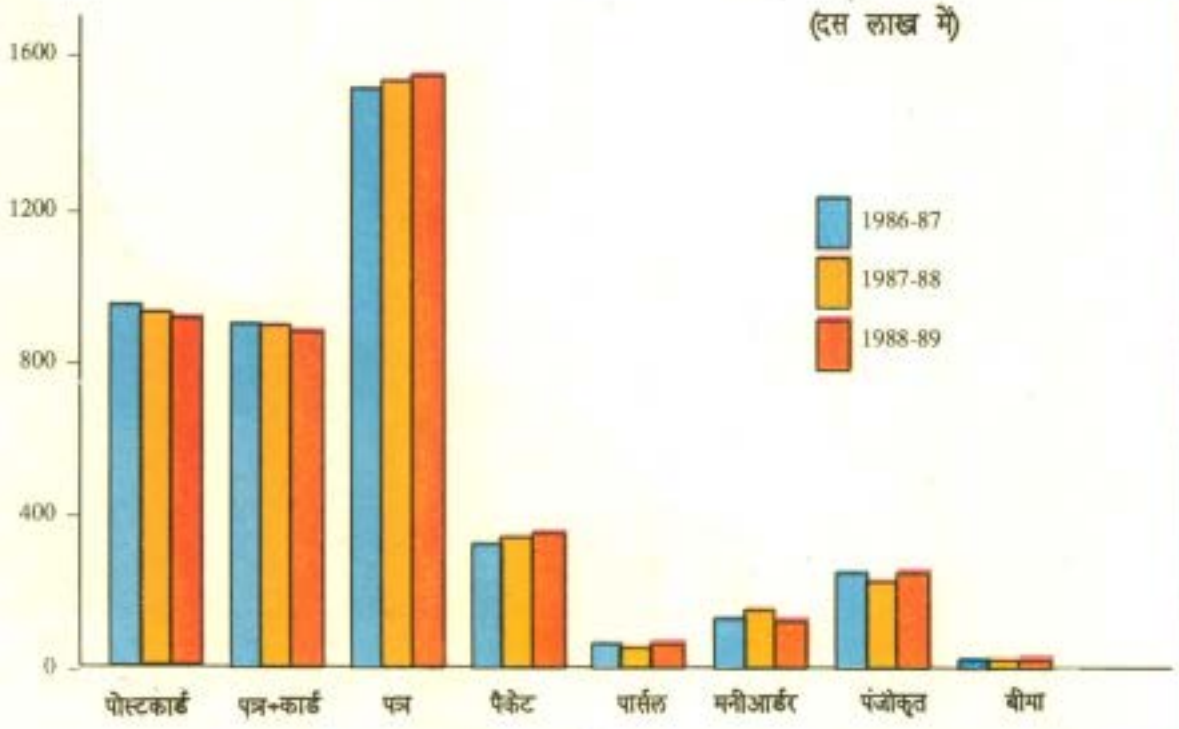

स्पीड पोस्ट

विभाग अब अपने परंपरागत प्रचालनों के कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है । जहां पत्र डाक को लाने-ले-जाने पर विभाग का एकाधिकार है, वहां दस्तावेजों और पार्सलों को लाने-ले-जाने में प्राइवेट कूरिअर भी इस क्षेत्र में आगे आ गए हैं । लम्बे समय से प्रचलित अपनी परंपराओं और डाक से पारेषण और वितरण के क्षेत्र में अनुभव का प्रयोग

करते हुए विभाग ने 1986 में "स्पीड पोस्ट" नामक एक गारंटीशुदा वितरण सेवा प्रारम्भ की है जो सस्ती और प्राइवेट कूरिअर सेवाओं का अधिक विश्वसनीय विकल्प है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, स्पीड पोस्ट सेवा में 13 और केन्द्र शामिल किए गए, जिससे देश में इन केन्द्रों की कुल संख्या 50 हो गई । स्पीड पोस्ट सेवा के परियात का विश्लेषण करने से यह पता चला है कि उपभोक्ताओं ने इस सेवा को स्वीकार किया है और इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है । इस प्रकार, अप्रैल 1987 में 14 स्पीड पोस्ट सेवा केन्द्रों से 68264 डाक वस्तुओं के साधारण से परियात से यह सेवा प्रारम्भ हुई और मार्च 1989 में यह परियात 50 केन्द्रों और 6 विस्तार काउंटरों से 2,18,993 वस्तुओं तक पहुंच गया है, जिसका अर्थ यह है कि इसमें दो सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है । अलग-अलग केन्द्रों के परियात आंकड़ों से भी यह पता चलता है कि स्पीड पोस्ट सेवा की ग्राह्यता में बृहत् वृद्धि हुई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, स्पीड पोस्ट सेवा को 34 देशों के साथ जोड़ दिया गया है । विभाग ने ब्राजील डाक प्रशासन के साथ बीमाकृत हवाई पार्सल सेवा चालू की है जिसकी अधिकतम बीमा सीमा 10,000/-रु. है ।

स्पीड पोस्ट (अंतर्देशीय)
(हजार में)

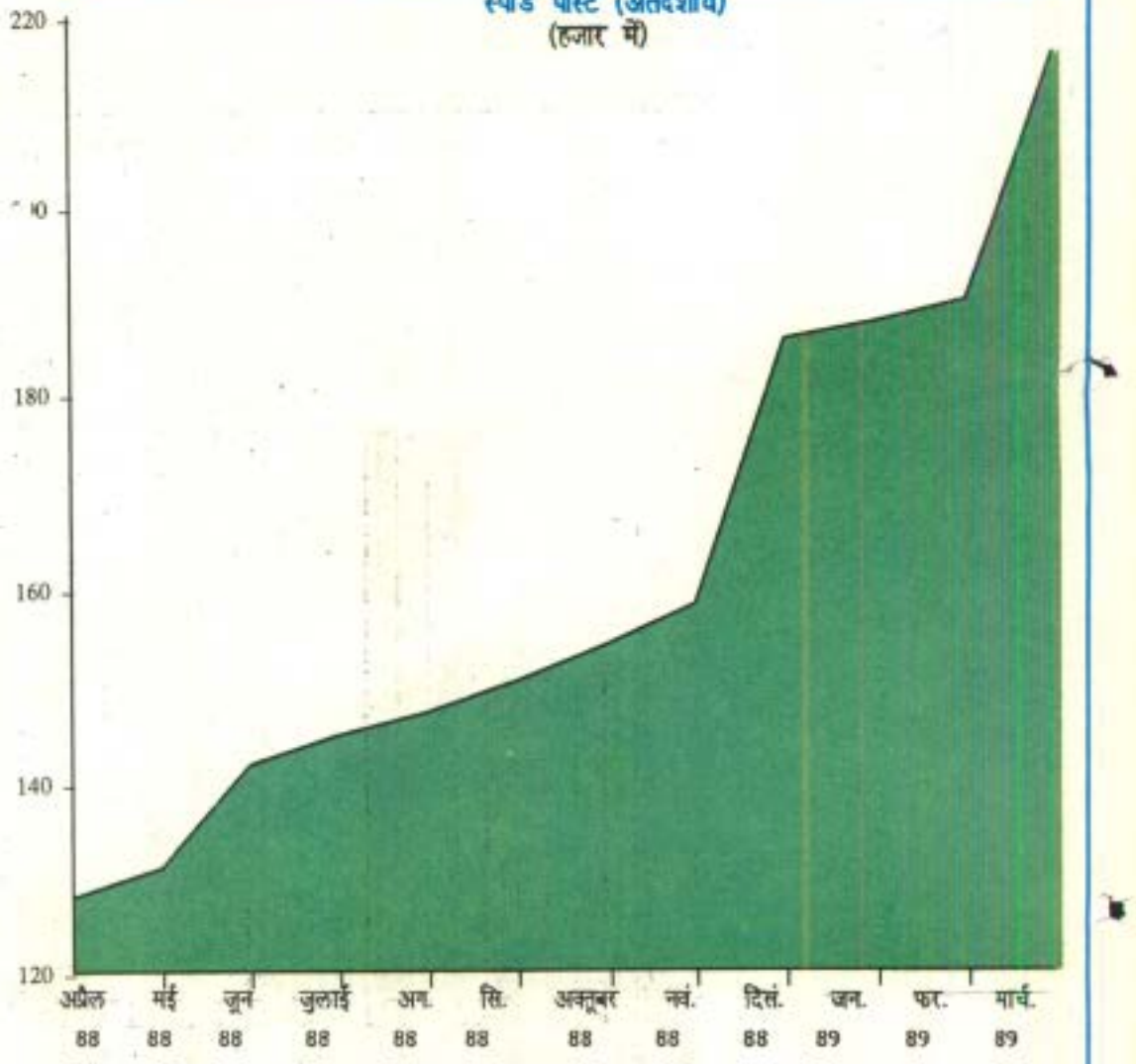

नई सेवायें

स्पीड मनीआर्डर

विभाग ने 14.5.1988 से स्पीड मनीआर्डर नामक एक नई सेवा प्रारम्भ की है । यह सेवा स्पीड पोस्ट नेटवर्क के माध्यम से अत्यंत शीघ्रता से धन अन्तरण प्रणाली सुलभ कराती है जिससे इन स्पीड पोस्ट केन्द्रों में किसी भी केन्द्र में ऐसे मनीआर्डरों का गारंटीशुदा वितरण प्राप्तकर्ता के घर पर सुलभ हो जाता है ।

यह सेवा प्रति स्पीड मनीआर्डर 5/–रु. के मामूली से अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध कराई जाती है, चाहे इसका मूल्य कुछ भी हो । इसके अलावा, यदि उपभोक्ता चाहे तो, 3 रु. के अवकाश वितरण शुल्क पर ऐसे मनीआर्डरों का भुगतान छुट्टी वाले दिनों भी (तीन राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा) किया जा सकता है । यद्यपि उत्कृष्ट बैंकिंग प्रणाली भी प्राप्तकर्ता के घर पर नकदी के अदायगी की व्यवस्था नहीं करती है, परन्तु स्पीड मनीआर्डर ने देश के भीतर धन अन्तरण में क्रांति ला दी है ।

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक स्पीड पोस्ट

15.4.1988 से अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक स्पीड पोस्ट सेवा चालू की गई । जिन वस्तुओं के लिए बीमा आवश्यक न हो, ऐसी वस्तुएं वाणिज्यिक स्पीड पोस्ट के बतौर इस सेवा के अंतर्गत भेजी जा सकती हैं । समीक्षाधीन वर्ष के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक स्पीड पोस्ट 19 देशों के साथ स्थापित की गई ।

तकनीकी विकास

डाक प्रचालनों में उच्च तकनालॉजी को व्यापक पैमाने पर लागू करने से पूर्व, वर्ष के दौरान विभिन्न डाक प्रचालनों में सीमित परन्तु विविध तकनालॉजी नवपरिवर्तनों को आरम्भ करने की कार्रवाई की गई । वज़न मापने वाली इलैक्ट्रानिक मशीनों को लागू करने के लिए आर एण्ड डी के प्रयत्नों से एक प्रोटोटाइप का विकास किया गया जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया । इन मशीनों से इन पर रखी गई वस्तुओं पर देय डाक शुल्क और वस्तुओं के भार का पता चलता है । ऐसी दो वज़न मापने वाली मशीनें दिल्ली डाक सर्किल में सफलतापूर्वक चालू की गई थीं । इसी प्रकार की दस और वज़न मापने वाली मशीनें सितम्बर 1989 में इसी सर्किल में चालू की गईं । बहु प्रयोजन वज़न मापने वाली मशीनें चालू करने का प्रयोग काफी सफल रहा । दिल्ली सर्किल में पांच मशीनें पहले ही लगा दी गई हैं और ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । 25 और मशीनों के लिए आर्डर दे दिया गया है । ये मशीनें पी सी पर आधारित है तथा विविध कार्य करती हैं । डाक उत्कृष्टता विशेषज्ञ समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में एक सिफारिश यह थी कि हमें आगामी पांच वर्ष में 20,000 पी सी पर आधारित मशीनें लागू करनी चाहिएं । इस सिफारिश को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है । श्रीनगर मे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला ने इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास किया है । आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान और मशीनें चालू करने के लिए आगामी कार्रवाई चल रही है ।

बड़े छंटाई कार्यालयों में समय और स्थान के अभाव की समस्या का सामना करने के लिए इस दिशा में पहले कदम के रूप में बंबई में एक पूर्णतया स्वचल छंटाई परियोजना चालू करने का निर्णय लिया गया है । कम्प्यूटर मेंटिनेन्स कार्पोरेशन को एक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रणाली को संस्थापित करने एवं चालू करने के लिए विश्व–व्यापी टेंडर आमंत्रित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं ।

उच्च क्वालिटी की डाक विरूपण मोहरों के स्वदेश में ही निर्माण करने के प्रयासों में पर्याप्त सफलता मिली है । दिल्ली की एक फर्म ने हाथ से विरूपण करने वाली पॉलिमर पर आधारित मोहर का विकास किया है, जिसकी क्वालिटी की तुलना विदेशों में निर्मित इसी तरह की मोहरों के साथ बखूबी की जा सकती है । ऐसी 300 मोहरों के लिए आदेश दे दिया गया है । देश में निर्माण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होने पर इन आदेशों में वृद्धि कर दी जाएगी । इस दौरान, विभाग के आर एण्ड डी विंग ने सोसायटी द्वारा अलीगढ़ में निर्मित मोहरों और सीलों की घटिया क्वालिटी के कारणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया है । यह सोसायटी देश में और कुछ पड़ौसी देशों को सभी मोहरों और सीलों की परम्परागत सप्लॉयर है । आर एण्ड डी विंग की सिफारिशों के आधार पर, अलीगढ़ में निर्मित मोहरों की बढ़िया मजबूती और टिकाऊपन सुनिश्चित करने के वास्ते मोहरों को उपयुक्त हीट ट्रीटमेन्ट देने के लिए आधुनिक उपस्कर लगाया जा रहा है ।

आर एण्ड डी विंग ने डाक थैले के लिए हलकी सामग्री के विकास हेतु भी अध्ययन

प्रारम्भ किया है । जैसा कि सर्वविदित है, परम्परा से चली आ रही सामग्री, पानी, जूट के न केवल महंगे होने परन्तु भारी होने के कारण भी परिवहन लागत में वृद्धि होती है । चूंकि इसमें काफी मात्रा में धूल जमा हो जाती है अतः जूट का थैला सेहत के लिए भी हानिकर है । आर एण्ड डी द्वारा किये गए प्रयत्नों के फलस्वरूप, जूट तकनालॉजी रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनालॉजी के आधार पर नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन ने जूट एवं उच्च सघनता वाली पॉलिथीनयुक्त सेंथेटिक सामग्री का सफलतापूर्वक निर्माण किया है । जूट जैसी मजबूती होने के साथ-साथ यह सामग्री जूट से 30% हलकी है । नैशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन ने जो सामग्री निर्गित की है वह परीक्षण के लिए 500 थैलों के लिए पर्याप्त है । इन थैलों का अब विभिन्न कार्यालयों में परीक्षण किया जा रहा है और सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद इनका प्रयोग बढ़ाया जाएगा ।

डाक उत्कृष्टता विशेषज्ञ समिति ने इलेक्ट्रानिक डाक प्रारम्भ करने की भी सिफारिश की है । इस परियोजना के कार्यान्वयन के वास्ते आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है । इस दिशा में विभाग के प्रयत्नों में दूरसंचार आयोग और सी-डॉट भी मदद कर रहे हैं ।

डाक जीवन बीमा कार्य के कम्प्यूटरीकरण के लिए नैशनल इन्फरमैटिक सेन्टर (एन. आई. सी.) द्वारा सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है । इससे बेंगलूर में डाक जीवन बीमा लेखा के लिए प्रयोग किया जा रहे कम्प्यूटर का प्रचालन सफल रहा । एक बार एन. आई. सी. द्वारा विकसित यथोचित साफ्टवेयर उपलब्ध हो जाने पर डाक जीवन बीमा के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में भी कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

मुख्य डाकघरों के लेखा को कम्प्यूटरीकृत करने का एक निर्णय पहले भी लिया जा चुका है । सर्वप्रथम तमिलनाडु सर्किल के 20 मुख्य डाकघरों के खातों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति और साफ्टवेयर विकसित करने के टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं । यदि यह योजना तमिलनाडु में सफल हो जाती है तो आने वाले वर्षों में अन्य मुख्य डाकघरों के लिए भी कम्प्यूटरों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया जाएगा ।

डाक परिसर

डाक प्रचालन में सुधार के लिए जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना है उनमें एक क्षेत्र है डाकघरों के लिए विशेष तौर पर डिज़ाइन किए गए विस्तृत भवन उपलब्ध कराना । 1988-89 के दौरान डाक विभाग को कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण, भूमि के क्रय और लुटपुट निर्माण कार्य के लिए 28.5 करोड़ रु. का विनियोजन प्राप्त हुआ । फिर भी, विभाग ने पुनः विनियोजन के जरिए अतिरिक्त 4.77 करोड़ रु. का उपयोग करते हुए वर्ष के दौरान भवन कार्यक्रमों पर 33.27 करोड़ रु. के परिव्यय में वृद्धि की । मौजूदा 7 भवनों और 352 स्टाफ क्वार्टरों के विस्तार सहित 156 नए डाक और रेल डाक सेवा भवनों का निर्माण-कार्य प्रारंभ किया गया । वर्ष के दौरान 112 कार्यालय भवनों और 535 स्टाफ क्वार्टरों (मौजूदा 7 भवनों के विस्तार सहित) का निर्माण-कार्य पूरा किया गया ।

बचत बैंक

जनता ने डाकघर बचत बैंक में अपनी आस्था बरकरार रखी है । यह देश में सबसे बड़ा बचत बैंक है । जमाकर्त्ताओं को बेहतर सेवाएं सुलभ कराने और प्रचालन में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से वर्ष 1988-89 में विभिन्न उपाए किए गए । उनमें से कुछ का सार नीचे दिया गया है :

— मासिक आय लेखा योजना में की जा सकने वाली जमा की अधिकतम सीमा एकल खाते में 1 लाख रु. से बढ़ा 2 लाख रु. और संयुक्त खाते में 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रु. कर दी गई है ।

— संसद मार्ग प्रधान डाकघर के बचत बैंक और आवर्ती जमा, संचयी सावधि जमा के कम्प्यूटरीकरण के लिये "पायलट परियोजना" सफलतापूर्वक प्रारम्भ की गई और 1.4.89 से डुप्लीकेट लेजरों को हाथ से तैयार करना बंदकर दिया गया है । एस बी सी ओ के सभी क्रियाकलाप अब कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा किए जाते हैं ।

— इस बात पर ध्यान दिए बिना कि डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है अथवा

शहरी क्षेत्र में, अब प्रोत्साहन कमीशन अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों, अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टरों को भी दिया जाएगा । पहले प्रोत्साहन कमीशन केवल ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों, अतिरिक्त विभागीय उप–पोस्टमास्टरों को ही दिया जाता था ।

— संरक्षित बचत योजनाओं के तहत दावों का पंजीकरण और सत्यापन अब सर्किल अध्यक्ष द्वारा किया जाता है न कि राष्ट्रीय बचत आयुक्त द्वारा जैसा पहले किया जाता था ।

इससे कार्य प्रक्रिया में आसानी हुई है और इससे समय भी कम लगता है ।

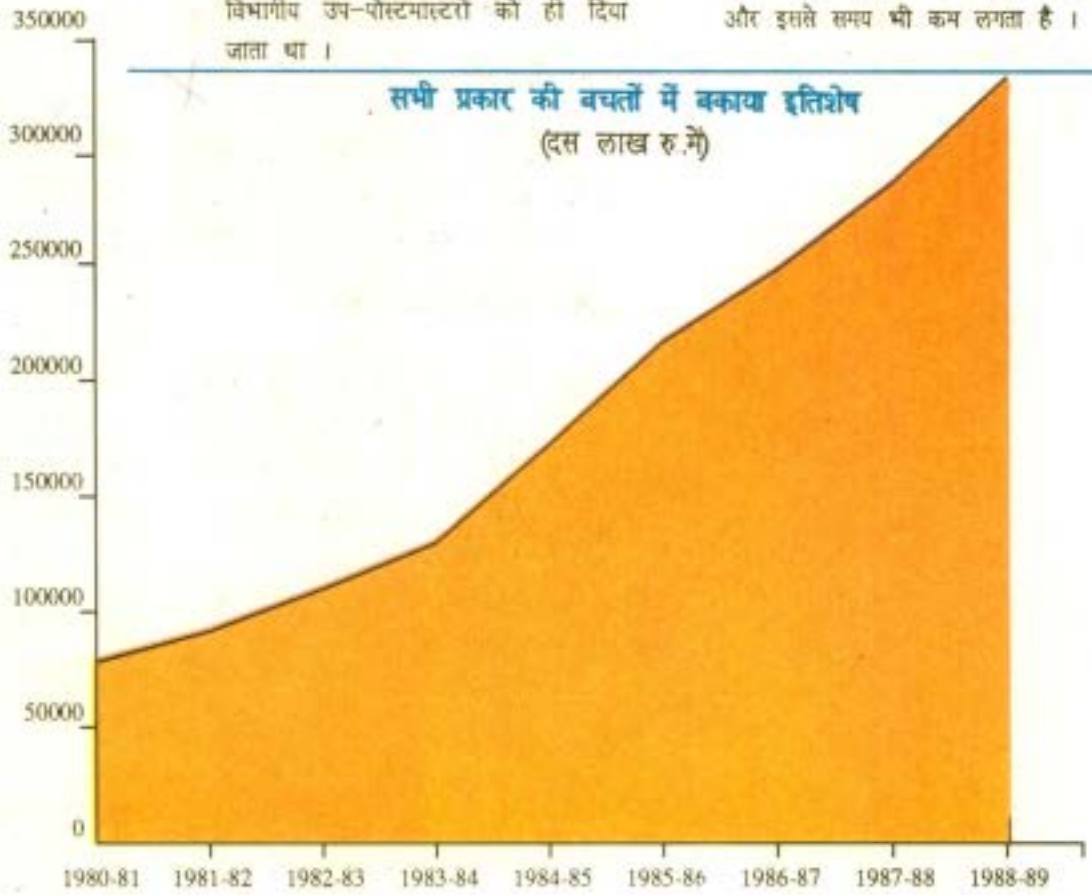

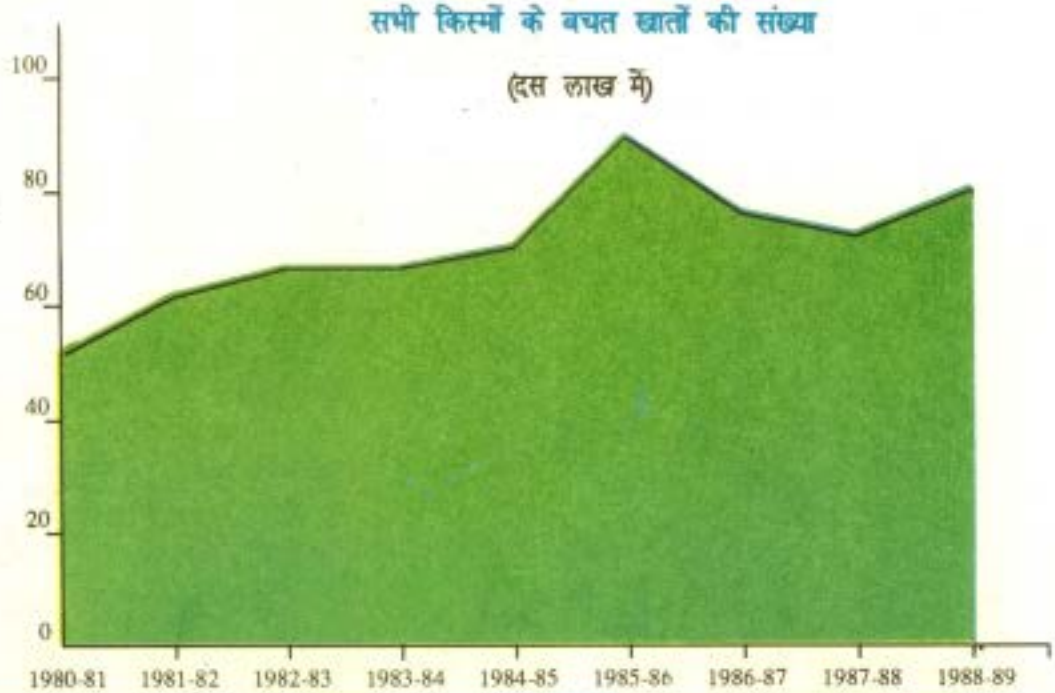

नयी योजना

1.4.1988 से किसान विकास पत्र नाम से बचत पत्रों की एक नयी शृंखला प्रारम्भ की गई है । 1000/–रु., 5,000/– रु. और 10,000/–रु. के मूल्यवर्ग के बचत पत्र किसी भी संख्या में खरीदे जा सकते हैं । इन बचत–पत्रों की परिपक्वता अवधि $5\frac{1}{2}$ वर्ष होगी जो उनकी जारी करने की तारीख से प्रारम्भ होगी । 1,000/–रु. के मूल्यवर्ग वाले बचत–पत्र की परिपक्वता अवधि समाप्त होने पर उसे भुनाने पर राशि (देय ब्याज सहित) 2,000/–रु. और इसके बाद के मूल्यवर्गों की राशि इसी आनुपातिक दर पर होगी ।

बचत योजनाएं

जमाकर्त्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डाकघर अनेक प्रकार की योजनाएं चलाता है । डाकघर परंपरागत बचत सुविधाओं जैसे बचत खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता के अतिरिक्त निम्नलिखित आकर्षक योजनाएं भी चलाता है ।

राष्ट्रीय बचत खाता योजना

इस योजना के तहत एक वर्ष में जमा की गई संपूर्ण राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80–सीसीए के तहत छूट दी जाती है । योजना के तहत एक वर्ष में अधिकतम 30,000/– रु. जमा कराए जा सकते हैं । इस पर 11 प्रतिशत ब्याज है ।

डाकघर मासिक आय खाता योजना

इस योजना के तहत की गई जमा पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है और यह ब्याज प्रति मास दिया जाता है । यद्यपि परिपक्वता अवधि 6 वर्ष है, फिर भी इसे एक वर्ष बाद समय से पूर्व 5 प्रतिशत की छूट पर भुनाया जा सकता है । परिपक्वता पर देय 10 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस इस योजना का अतिरिक्त आकर्षण है ।

इन्दिरा विकास पत्र

कोई भी इन पत्रों, जो पूर्णतया अन्तरणीय और परक्राम्य हैं, को खरीद सकता है । ये पत्र 100, 200, 500, 1000 और 5000 रु. के मूल्यवर्ग में हैं । इनका छिपा मूल्य, अंकित मूल्य, जिसे धारक 5 वर्ष की अवधि में दुगुना प्राप्त कर लेता है, का आधा है । पत्रों पर क्रेता का नाम नहीं होता है और किसी भी संख्या में ये पत्र खरीदे जा सकते हैं ।

सामाजिक सुरक्षा–पत्र

18–45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति इस 10 वर्षीय योजना में निवेश कर सकते हैं जिसकी अधिकतम सीमा 5000/–रु. है । इन बचत पत्रों का मूल्य परिपक्वता पर तीन गुना हो जाएगा । यदि बचत पत्र खरीदने के दो वर्ष बाद धारक की मृत्यु हो जाती है तो नामिती अथवा कानूनी उत्तराधिकारी को संपूर्ण परिपक्वता मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है ।

डाक जीवन बीमा

जीवन बीमा योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1884 में प्रारम्भ की गई थी । इस योजना का संचालन और प्रचालन डाक विभाग द्वारा किया जाता है । बचत बैंक की भांति, डाक जीवन बीमा में पालिसियों की संख्या और प्रति पालिसी प्रीमियम में भी लगातार वृद्धि हुई है । डाक जीवन बीमा निम्नलिखित पालिसियां प्रदान करता है :

- बंदोबस्ती बीमा
- आजीवन बीमा
- परिवर्तनीय आजीवन बीमा
- प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा

प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा पालिसी में जोखिम भी है पर साथ ही यह आवधिक वित्तीय रिटर्नस भी सुलभ कराती है जो परिपक्वता से काफी समय पूर्व प्रारंभ होती है । पालिसी की अवधि के दौरान बीमाकर्त्ता की मृत्यु होने पर उसके आश्रित उत्तरजीविता लाभों के रूप में अदा की गई राशि को

ध्यान में रखे बिना प्रोद्भूत बोनस और संपूर्ण बीमाकृत राशि प्राप्त करने के हकदार हैं । बीमादार की 57 वर्ष की आयु के बाद आजीवन पालिसियां बंदोबस्ती बीमा पालिसियों में बदली जा सकती हैं । एक पालिसी धारक अपनी पालिसी की श्रेणी बदले बिना मासिक प्रीमियम और बीमाकृत राशि में कटौती करने का आवेदन कर सकता है । 3 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पालिसी सौंपी जा सकती है अथवा पालिसी का भुगतान किया जा सकता है । पालिसी प्रारम्भ होने के प्रथम 3 वर्षों के दौरान प्रीमियम का भुगतान न किए जाने के कारण व्यपगत पालिसियों के पुनर्जीवन की अनुमति, उत्तम स्वास्थ्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने और 8 प्रतिशत ब्याज पर प्रीमियम बकाया का भुगतान करने के बाद दी जाती है ।

डाक जीवन बीमा अपने बीमाकर्ताओं से एक समान कम प्रीमियम दरें वसूल करता है। साल के लिए अग्रिम रूप से अदा किए गए प्रीमियम पर 2 प्रतिशत की छूट भी दी जाती है । डाक जीवन बीमा अपने उपभोक्ताओं को उत्तरोत्तर बोनस की उच्च दरें प्रदान करता रहा है ।

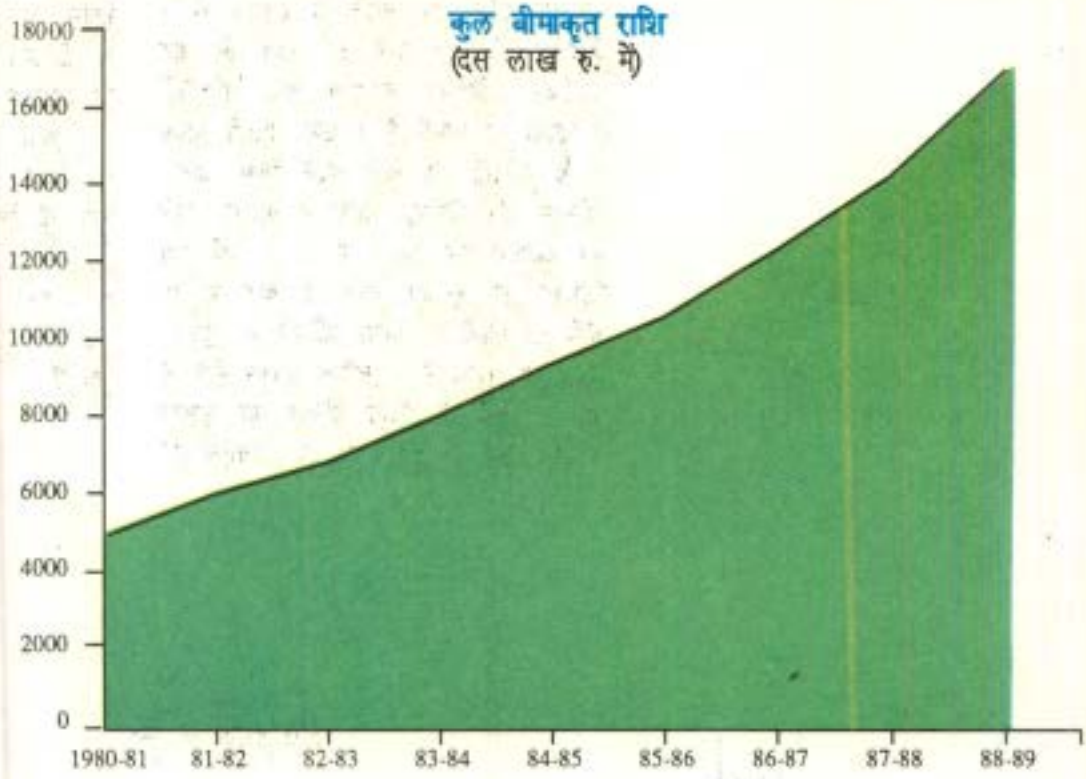

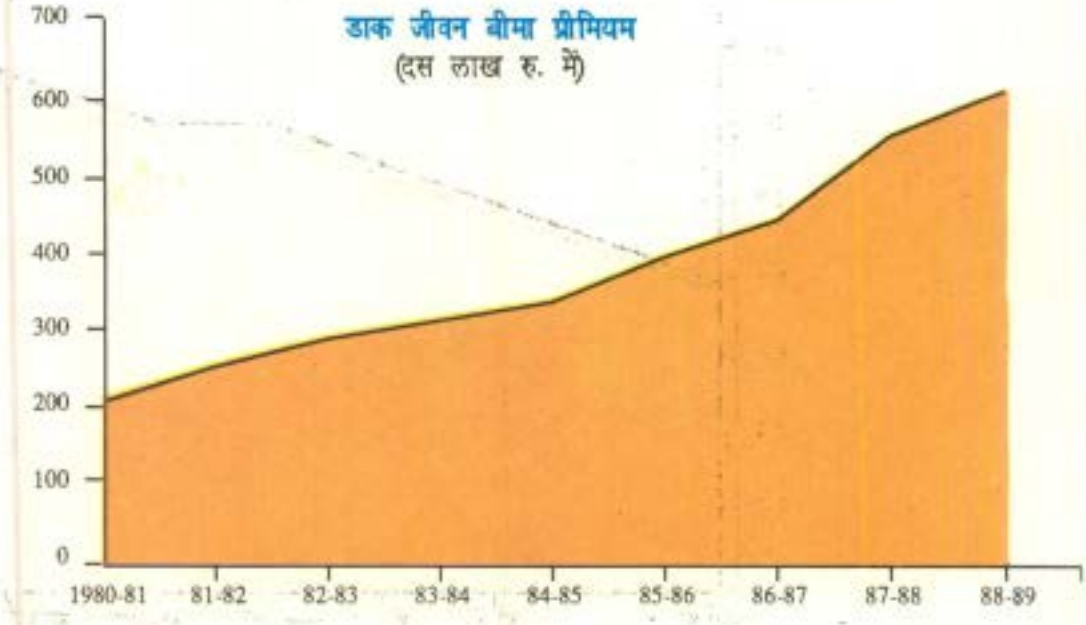

पिछले कुछ वर्षों के दौरान घोषित बोनस निम्न प्रकार है :

	आजीवन बीमा	बंदोबस्ती बीमा
	(बीमाकृत राशि प्रति हजार प्रति वर्ष)	
1983–85	59/–रु.	47/–रु.
1985–86	67/–रु.	54/–रु.
1986–87	74/–रु.	60/–रु.
1987–88	78/–रु.	63/–रु.
1988–89	80/–रु.	65/–रु.

फिलैटली

पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग ने स्मारक/विशेष डाक-टिकट श्रेणी में कम से कम 57 नए डाक-टिकट जारी किए । इसके अतिरिक्त विभाग ने नियत श्रेणी में दो विशेष डाक-टिकट भी निकाले ।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दो राज्य स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित की गईं । विभाग ने फिनलैंड, चैकोस्लोवाकिया, दक्षिण कोरिया और ईराक में आयोजित चार अन्तर्राष्ट्रीय फिलैटली प्रदर्शनियों में भी भाग लिया । इस फिलैटली ब्यूरो और समूचे देश के 155 फिलैटली काउंटरों के जरिए बड़ी संख्या में डाक-टिकट विरूपण और विशेष आवरण भी जारी किए गए ।

भारत-89

भारतीय डाक विभाग ने 20 जनवरी, 29 जनवरी, 1989 तक विश्व फिलैटली प्रदर्शनी भारत-89 का आयोजन किया । इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया ।भारत-89 की "प्रदर्श श्रेणी" में 90 देशों के लगभग 800 फिलैटेलिस्टों ने भाग लिया । बारह विदेश डाक प्रशासनों, चार विदेश डाक-टिकट डीलरों और नौ भारतीय डाक-टिकट डीलरों ने 32 बूथों के माध्यम से बिक्री के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करायी ।

जन शिकायतें

परिवाद में विलंब के संबंध में शिकायतों की संख्या 1987-88 में 711925 से घटकर 1988-89 में 681417 हो गई । कुल परिवाद की तुलना में निपटाई गई शिकायतों की संख्या केवल 0.00489 प्रतिशत रही । यद्यपि प्रतिशतता की दृष्टि से शिकायतों की संख्या नगण्य है और विभाग के लिए यह संतोष की बात है परन्तु यह मानकर कि किसी भी शिकायत से समूची सेवा की प्रतिष्ठा कम होती है, प्रत्येक शिकायत को दूर करने के लिए सचेतन प्रयास किए जाते रहे तथा यह सुनिश्चित किया जाता रहा कि उसमें तुरन्त सुधार किया जाए और बिना किसी विलंब के अवरोधों को दूर किया जाए । विभाग शिकायत के कारणों को दूर करने और शिकायत वाले क्षेत्रों की मानीटरिंग के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार विभाग और जन शिकायत निदेशालय के साथ मिलकर कार्य करता रहा है ।

डाक प्रक्रियाओं का सुधार

राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए डाकघरों के लिए वित्तीय व्यवस्था करने की योजना मध्य प्रदेश सर्किल में भी लागू की गई ।

50 पैसे मूल्यवर्ग के भारतीय पोस्टल आर्डर बंद कर दिए गए और भारतीय पोस्टल आर्डरों पर 3/-रु. तक के मूल्य के डाक-टिकट चिपकाने की अनुमति दी गई है ताकि शेष राशि को पूरा किया जा सके । इससे विषम मूल्य के भारतीय पोस्टल आर्डर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

महानिदेशालय के परिपत्र, जो बंद कर दिए गए थे, पुनः प्रारम्भ कर दिए गए है, उनमें महत्वपूर्ण सूचनाएं, नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन की सूचना और संबंधित घोषणाएं होती हैं ।

रजिस्टर्ड वस्तुओं के प्रेषकों के लिए उन पर अपना पता लिखना आवश्यक कर दिया गया है ताकि यदि वस्तुएं वितरित न हो सकें, तो उन्हें तुरन्त लौटाया जा सके ।

रजिस्टर्ड वस्तुओं को एकमुश्त में भेजने वालों के लिए 2 प्रतिशत की छूट देने की योजना प्रारम्भ की गई थी, बशर्ते कि वस्तुएं पहले से छांटी गयी हों और विशेष रजिस्टर्ड जर्नल और रजिस्टर्ड सूची में विधिवत् दर्ज करके प्रस्तुत की गई हों ।

मानव संसाधन

कर्मचारियों की नियुक्ति

समूचे देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे इस व्यापक नेटवर्क के होते हुए विभाग को अपने स्टाफ की दक्षता, परिश्रम और ईमानदारी पर भरोसा करना पड़ता है । विभाग रोजगार प्रदान करने वाले बड़े सरकारी विभागों में से एक है जिसमें समूची केन्द्रीय सरकार के लगभग 8.93% (31.3.86 की स्थिति के अनुसार) कर्मचारी हैं। 31.3.1989 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 587311 है जिसमें 2.88 लाख नियमित कर्मचारी हैं और 2.99 लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं ।

1980-81 से विभागीय कर्मचारियों की संख्या
(आंकड़े हजार में)

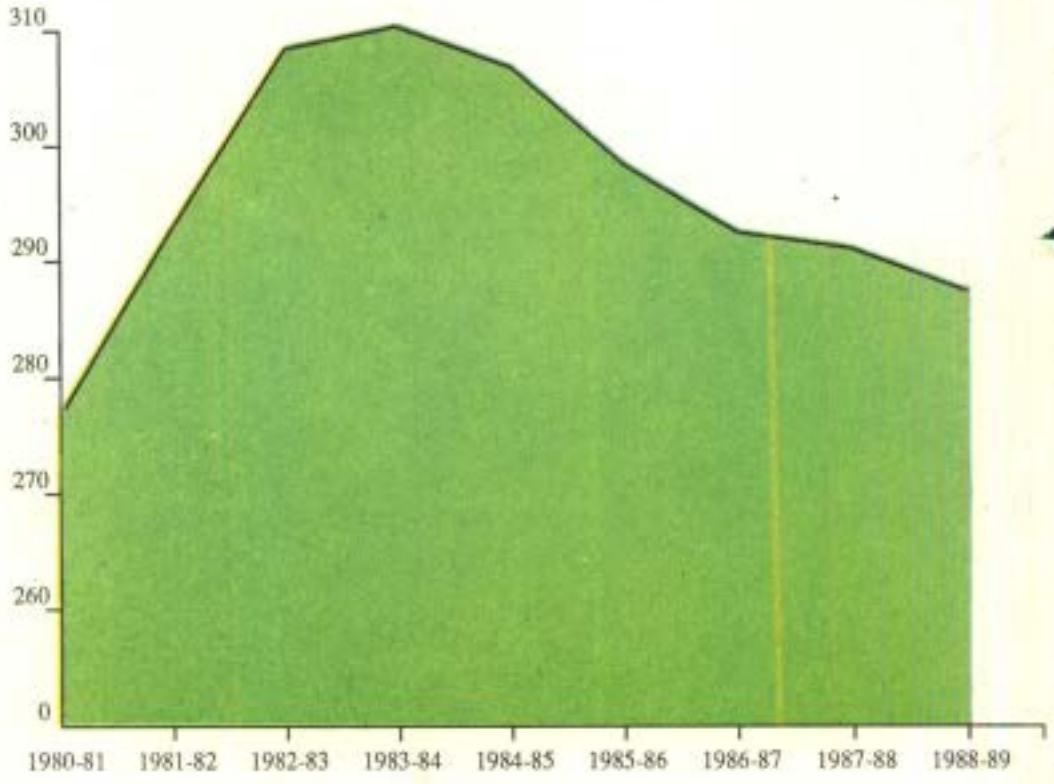

प्रशिक्षण

स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाना विभाग का एक मुख्य कार्य रहा है । इस समय पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं जो प्रचालन और पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों को प्रारंभिक और सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं । वर्ष के दौरान लगभग 9000 कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण दिया गया । विभाग के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, पोस्टल स्टाफ कालेज द्वारा

31.3.1988 को कर्मचारियों की संख्या

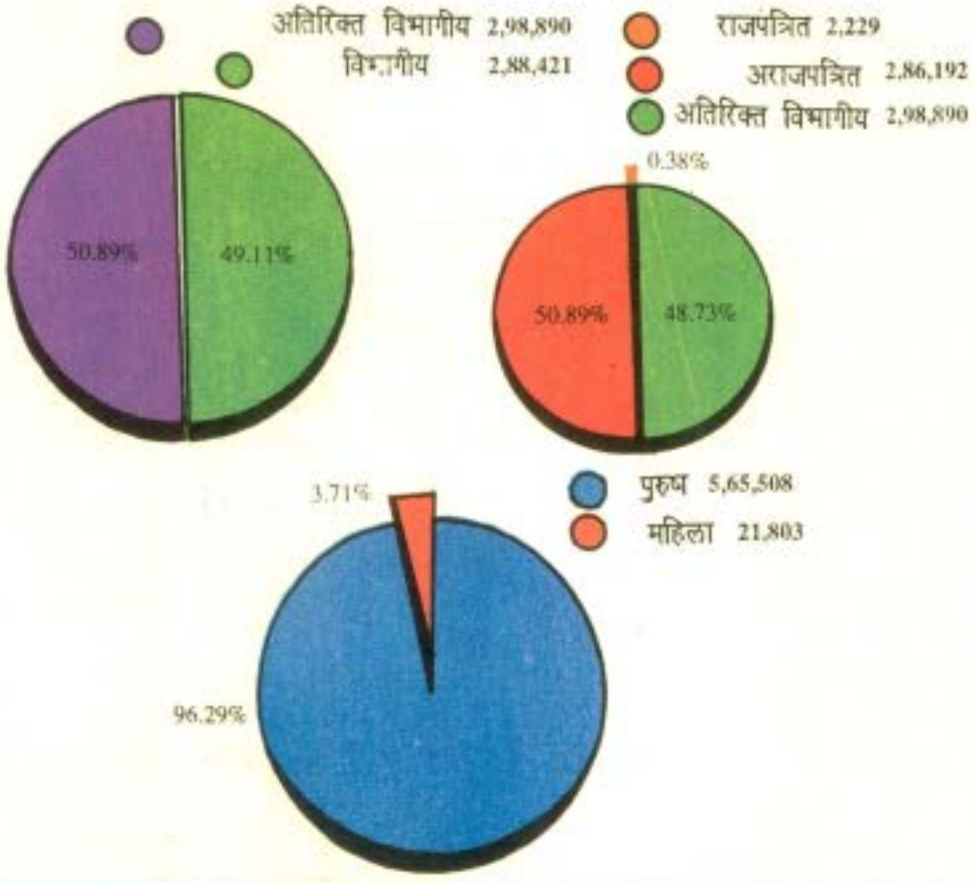

भारतीय डाक सेवा और भारतीय डाक-तार वित्त एवं लेखा सेवा के सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है । विभिन्न संवर्गों के 172 अधिकारियों ने पोस्टल स्टाफ कालेज द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया । प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला और प्रशासकीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं । विदेश डाक प्रशासन के प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षण केन्द्रों में भी प्रशिक्षण दिया गया ।

पोस्टल स्टाफ कालेज ने यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय डाक परिचालन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 15 देशों के 17 अधिकारियों ने भाग लिया । भारत का प्रतिनिधित्व पांच लोगों ने किया । गाजियाबाद स्थित पोस्टल स्टाफ कालेज भवन का निर्माण-कार्य प्रगति पर है और भवन के एक विंग का निर्माण पूरा हो गया है ।

कर्मचारी संबंध

डाक विभाग ने डाक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन परिसंघों और 26 यूनियनों/एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान की है । डाक कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ और भारतीय डाक कर्मचारी परिसंघ और अन्य यूनियनों/एसोसिएशनों ने अपनी मांगें प्रस्तुत कीं जिन पर विधिवत् विचार किया गया और इन मांगों पर की गई कार्रवाई उनके प्रतिनिधियों को जब स्पष्ट की गई तो उसके परिणाम संतोषजनक रहे। अप्रैल, 1988 से मार्च 1989 तक स्थानीय स्तरों पर कुछ स्थानीय घटनाओं और धरनों आदि को छोड़कर विभाग में प्रशासन और यूनियनों के संबंध कुल मिला-जुलाकर अच्छे रहे ।

27 और 28 जुलाई, 1988 को विभागीय परिषद (जे सी एम) की एक बैठक हुई जिसमें 89 मदों पर विचार विमर्श किया गया । विभागीय परिषद की दूसरी बैठक कर्मचारी पक्ष की मांग पर स्थगित कर देनी पड़ी । सचिव ने विभिन्न फेडरेशनों/गैर फेडरेशन यूनियनों/एसोसिएशनों को पांच आवधिक बैठकों की स्वीकृति दी । 19.4.1988 और 22.4.1988

को सचिव ने तीन फेडरेशनों के प्रतिनिधियों से विशेष साक्षात्कार किया । फेडरेशनों की स्थायी समितियों की तीन बैठकें हुई जिनमें आवधिक बैठकों की उन मदों की प्रगति पर विचार-विमर्श हुआ जिन्हें उन बैठकों में रखा गया था । अखिल भारतीय बचत बैंक नियंत्रण कर्मचारी संघ की समस्याओं पर विचार करने के लिए 29.12.1988 को सदस्य (विकास) ने एक विशेष साक्षात्कार की अनुमति दी ।

राष्ट्रीय डाक पुरस्कार

कर्मचारियों की सराहनीय सेवाओं को मान्यता देना और उन्हें सम्मानित करना एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कदम है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 1984 से राष्ट्रीय पुरस्कार देना प्रारम्भ किया गया । इन पुरस्कारों को "मेघदूत" पुरस्कार के नाम से जाना जाता है । पुरस्कार सर्किल स्तर पर भी दिए जाते हैं जिन्हें "डाक सेवा" पुरस्कार के नाम से जाना जाता है ।

मेघदूत पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाता है जो सर्किल अध्यक्षों की सिफारिशों पर एक समिति द्वारा चुने जाते हैं :-

- सभी श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी;
- वर्ग "घ" कर्मचारी, पोस्टमैन और समकक्ष स्तर के कर्मचारी;
- किसी कार्यालय के प्रधान की हैसियत से कार्य करने वाले ग्रुप "ग" कर्मचारी;
- डाक और छंटाई सहायक;
- सभी श्रेणियों के अवर या उच्च चयन ग्रेड के पर्यवेक्षण कर्मचारी, निरीक्षक और सहायक अधीक्षक;
- उपर्युक्त किसी भी श्रेणी से संबंधित महिला कर्मचारी ।

डाक विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को वर्ष 1988 के उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए "मेघदूत" पुरस्कार तत्कालीन संचार राज्य मंत्री श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा 12 अक्तूबर, 1988 को दिए गए :-

- श्री जी. एन. त्रिवेदी, शाखा पोस्टमास्टर, गुजरात सर्किल;
- श्री जी. विक्टर धनराज, पोस्टमैन, कर्नाटक सर्किल;
- श्री के. राजेन्द्रन, डाक सहायक, केरल सर्किल;
- श्री ध्रुव चरण बेहेरा, डाक सहायक, उड़ीसा सर्किल;
- श्री अमर सिंह सैनी, सहायक अधीक्षक डाकघर, हिमाचल प्रदेश; और
- श्रीमती एम. के. मीरा, पर्यवेक्षक, बचत बैंक नियंत्रण संगठन, कर्नाटक सर्किल ।

चिकित्सा सुविधाएं

कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए विभाग देश के 45 स्थानों पर 55 औषधालय चला रहा है जो घर जाकर मरीज को देखने, नैमित्तिक प्रयोगशाला जांच और दवाई की सप्लाई सहित बहिरंग चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं । ये औषधालय दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को भी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं । ये औषधालय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को समय से तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं ।

कल्याण

डाक विभाग जैसे संगठन के लिए, जिसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, कर्मचारी कल्याण का अत्यंत महत्व है । इस बात को ध्यान में रखते हुए संचार मंत्री की अध्यक्षता में एक "डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड" का गठन किया गया है । इस बोर्ड का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए सुख-सुविधाओं को बढ़ाना और कल्याण कार्यक्रमों, खेलों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास करना है । विभिन्न प्रचालन पदों पर विशिष्ट खिलाड़ियों को नियुक्त करने की योजना चल रही है । वर्ष 1988-89 के दौरान कल्याण कार्यों पर 70 लाख रुपए खर्च किए गए । खेलकूद पर 28 लाख रुपए खर्च किए गए । असम और पंजाब सर्किलों के बाढ़ग्रस्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उक्त सर्किलों को विशेष आवंटन दिया गया । पंजाब में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को नियमित कर्मचारियों के मामले में 20,000/- रु. और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के मामले में 10,000/-रु. की विशेष अनुदान राशि मंजूर की गई । बाढ़/आग राहत/यात्रा-भत्ता के अनुदान की रकम और कर्मचारियों के विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी गई

है । डाक कर्मचारियों के विकलांग और मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को अब नेत्रहीन बच्चों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है ।

कर्मचारियों और उसके परिवारों को विश्राम और मनोरंजनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 16 स्थानों पर हॉलीडे होम स्थापित किये गए हैं । पहलगांव (जम्मू-कश्मीर) में एक हॉलीडे होम खोलने और सपूतरा (गुजरात) में एक हॉलीडे होम के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है । टी.बी. से पीड़ित कर्मचारियों और उनके परिवारजनों की चिकित्सा के लिए देश भर के विभिन्न सैनिटोरियम/अस्पतालों में 39 बिस्तर आरक्षित हैं । देशभर में विभिन्न जगहों पर विभाग द्वारा सहायता प्राप्त पुस्तकालय, कैंटीन और मनोरंजन क्लब चलाए गए ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

विभाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की भर्ती और पदोन्नति के छूट दिये गये मानदंड अपनाने के प्रयोजन से मौजूदा सरकारी आदेशों को पूरी तरह कार्यान्वित कर रहा है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आगे यह निर्णय लिया है कि यदि छूट दिये गये मानदंडों के अंतर्गत भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदक अपेक्षित संख्या में प्रतियोगिता परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं तो अनुत्तीर्ण आवेदकों के मामलों को उनकी सेवा के गोपनीय रिकार्ड तथा परीक्षा में किए गए प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए । यह समीक्षा मुख्यतः उच्च दायित्व के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा की जाती है । जिन उम्मीदवारों को पदोन्नति के अयोग्य नहीं पाया जाता, उन्हें अर्हता स्तर तक लाने के लिए, जहां अपेक्षित होता है अनुग्रह अंक दिए जाते हैं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत (1987-88)

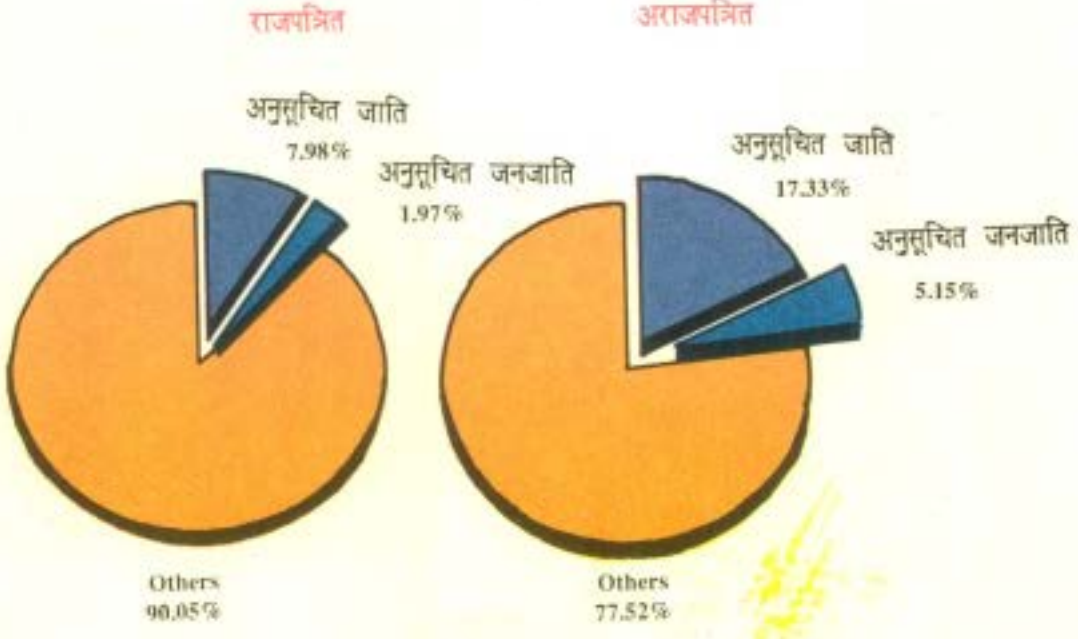

अल्पसंख्यकों का कल्याण

विभाग नियमों और विनियमों के मानदंडों के अल्पसंख्यक कल्याण के संबंध में सरकारी नीति कार्यान्वित करता रहा है । इस संबंध में वर्ष 1979 में अनुदेश जारी किए गए थे और समय-समय पर इनकी पुनरावृत्ति की गई जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को सदैव विभागीय पदोन्नति समितियों से जुड़ा होना चाहिए ।

कार्य-अध्ययन और कार्य-पद्धति अध्ययन

आंतरिक कार्य-अध्ययन यूनिट फील्ड यूनिटों में कर्मचारियों के निर्धारण संबंधी मानदंडों से जुड़े विश्लेषण-अध्ययन तथा कार्य को आंकने और कार्य पद्धति अध्ययन संबंधी कार्य करती है । आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई और दक्षता ब्यूरो ने वर्ष भर डाक उत्कृष्टता समिति की सहायता की । समिति ने सितम्बर में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

वर्ष 1988-89 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए गए:

- एकमुश्त डाक भेजने वालों द्वारा भेजी गई डाक की पद्धति और एकमुश्त डाक के भेजने में संभावित सुधार का अध्ययन;
- राष्ट्रीय बचत पत्रों में कार्य की अतिरिक्त मदों के लिए मानदंडों के विकास से संबंधित कार्य-अध्ययन;
- प्रशिक्षण और ई बी सेल तथा पेंशन अनुभाग का कार्य मापन अध्ययन;
- फिलैटली और मैगजीन अनुभागों की कार्य पद्धति का अध्ययन

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

विभाग केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार अपने यहाँ और अपने अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिक से अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा है । इस वर्ष विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की केवल एक ही बैठक हो सकी लेकिन विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 5 बैठकें हुई जिनमें विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गयी ।

विभाग में दो बार हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं तथा 14 सितम्बर, 1989 से हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिये गये । इसके अतिरिक्त विभाग में राजभाषा शील्ड योजना शुरू की गयी । इस योजना के तहत ऐसे 3 अनुभागों का चुनाव किया गया जिन्होंने हिन्दी में सबसे अधिक काम किया है । विभाग में सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर हिन्दी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है । भारतीय डाक विभाग गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा वर्ष 1988-89 के कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरे वर्ष प्रयत्नशील रहा ।

डाक वित्त

1960–61 से डाक सेवा, जो पहले राजस्व और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने में समर्थ थी, धीरे–धीरे घाटे की ओर बढ़ रही है । जबकि डाक सेवाओं की प्रचालन लागत निरंतर बढ़ती रही, विभिन्न डाक सेवाओं की दरें या तो वही बनी रहीं या उनमें केवल नाममात्र की वृद्धि की गई, किन्तु यह वृद्धि भी उन पर आने वाली आर्थिक लागत से काफी कम रखी गई थी । परिणामस्वरूप, इन पर होने वाले घाटे को दूरसंचार सेवाओं द्वारा पूरा किया जाता था । 1.1.1985 से डाक और तार विभाग का विभाजन हो जाने से, डाक सेवाओं को, विभाग के भीतर ही दूरसंचार सेवाओं की अतिरिक्त आय से मिलने वाली आर्थिक सहायता की संभावना समाप्त हो गई। डाक सेवाओं के प्रचालन में होने वाला घाटा अब सामान्य राजकोष द्वारा वहन किया जाता है ।

एक अलग विभाग के रूप में कार्य करते हुए पिछले चार वर्षों के दौरान विभाग को वर्ष 1985–86, 1986–87, 1987–88 और 1988–89 में क्रमशः 163.5 करोड़ रु. 216.4 करोड़ रु., 190.8 करोड़ रु. और 169.7 करोड़ रु. के राजस्व का घाटा हुआ ।

1.1.1987 से अनेक सेवाओं के मूल्यों में संशोधन करने के बावजूद विभिन्न सेवाओं की लागत उनके द्वारा अर्जित किए जाने वाले राजस्व की तुलना में निरंतर बढ़ती रही । लगभग सभी मुख्य सेवाओं के मामले में राजस्व उन पर आने वाली सीधी लागत से काफी कम था । सामान्य प्रशासन, लेखा, भंडारण और वितरण आदि की ऊपरी लागत को यदि सभी प्रकार की डाक सेवाओं में बांटा जाता, तब भी उनकी लागत उनके द्वारा अर्जित राजस्व की तुलना में अधिक होगी ।

राजस्व और व्यय
(दस लाख रु. में)

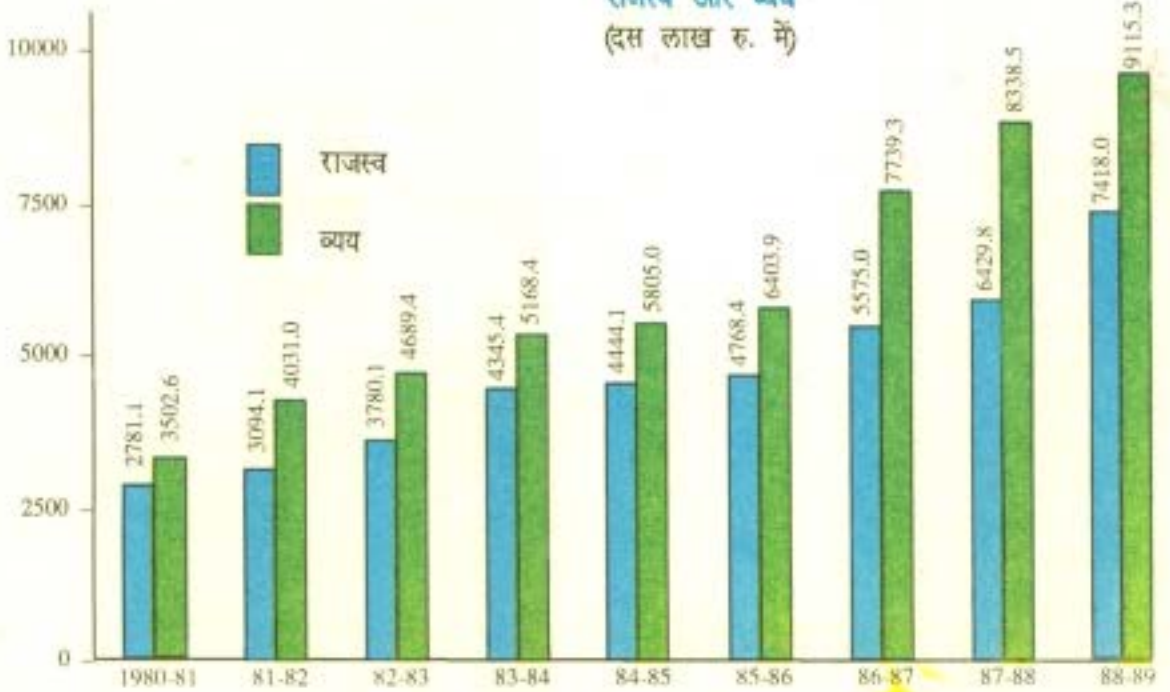

वर्ष 1988–89 के दौरान अर्जित कुल राजस्व 741.8 करोड़ रु. था, जो 1987–88 के दौरान अर्जित राजस्व की तुलना में कुल 98.8 करोड़ रु. और प्रतिशतता की दृष्टि से 15.4 प्रतिशत अधिक था । वर्ष में जितना राजस्व अर्जित करने का अनुमान किया गया था उसमें से 95.8% राजस्व वसूल किया गया ।

राजस्व 1988-89

	राशि (मिलियन रुपयों में)	प्रतिशत
– डाक टिकटों की बिक्री	4153.8	55.99
– नकद वसूल किया गया डाक शुल्क	1255.9	16.93
– मनीआर्डरों और भारतीय पोस्टल आर्डरों पर कमीशन	1008.9	13.60
– अन्य प्राप्तियां	999.9	13.48

व्यय 1988-89

	राशि (मिलियन रुपयों में)	प्रतिशत
– सामान्य प्रशासन	729.2	8.00
– प्रचालन	6084.5	66.75
– एजेंसी सेवाएं	288.9	3.17
– अन्य	2012.7	22.08

महत्वपूर्ण श्रेणियों का सकल राजस्व व्यय नीचे दिया गया है :

	राशि (लाख रुपयों में)	प्रतिशत
– वेतन और भत्ते आकस्मिकता अंतरिम राहत और अन्य मदें	862.60	79.43
– लेखा और लेखापरीक्षा	25.76	2.37
– पेंशन संबंधी प्रभार	99.89	9.20
– डाक टिकटें, पोस्टकार्ड	35.54	3.27
– लेखन सामग्री और मुद्रण आदि	10.25	0.96
– परिसम्पत्तियों आदि का रख-रखाव	5.74	0.53
– छोटे-मोटे कार्य	1.45	0.13
डाक ढुलाई (रेलवे और एअर मेल केरियर्स को भुगतान)	44.63	4.11

प्राक्कलित व्यय 863.01 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान कुल कार्यकारी व्यय 911.5 करोड़ रुपये था, जो 48.5 करोड़ रुपये की वृद्धि का द्योतक है । यह मुख्यतः न्यूनतम पेंशन और परिवार पेंशन में संशोधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण हुआ । 1988-89 में 169.7 करोड़ रुपये का घाटा था जो 1987-88 (190.8 करोड़) की तुलना में 21.1 करोड़ रुपये कम था ।

वर्ष 1988-89 के लिए राजस्व और व्यय

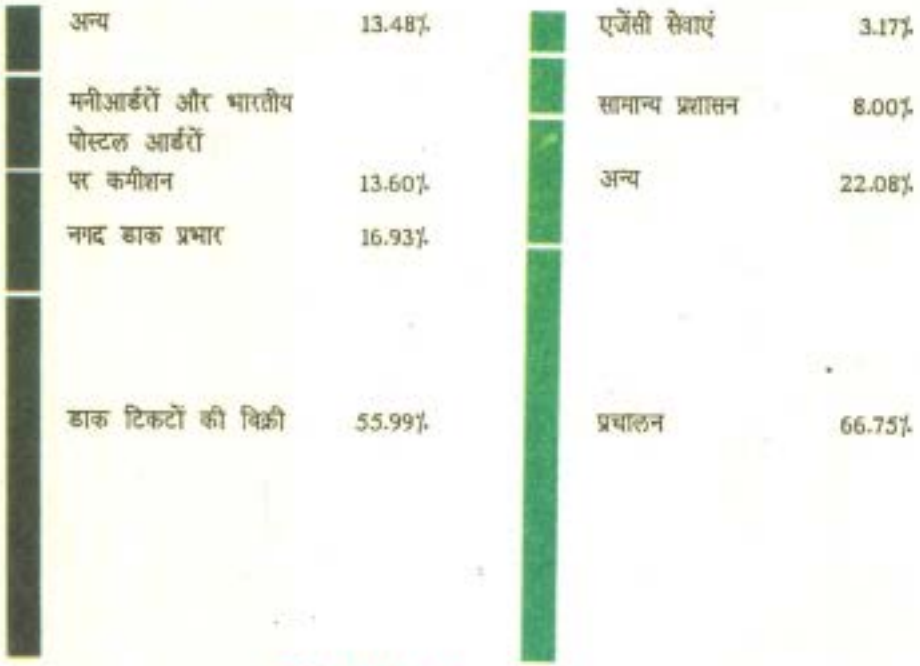

पूंजीगत परिव्यय

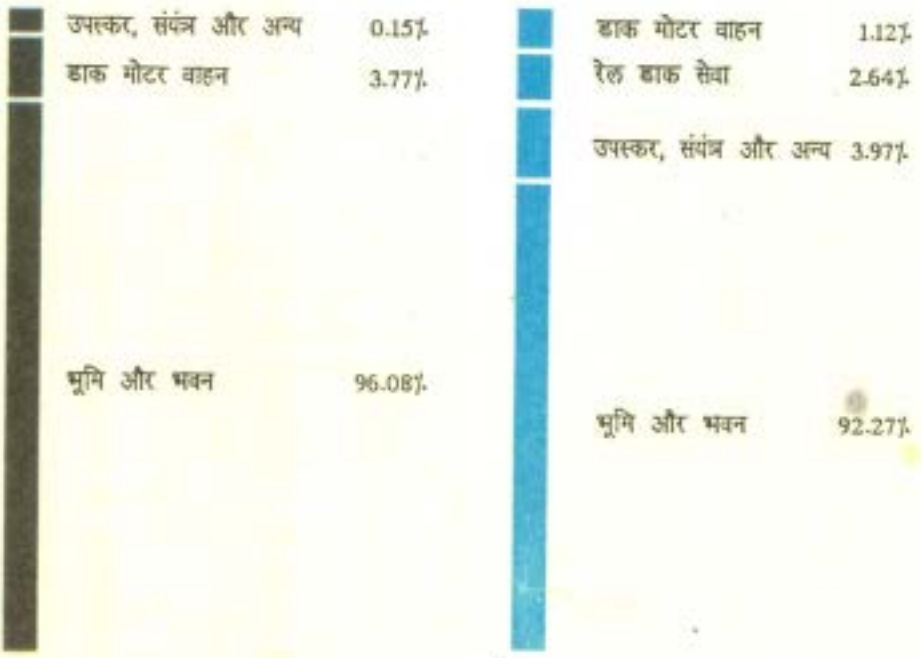

वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों पर सकल परिव्यय 33.7 करोड़ रुपये (96.08 प्रतिशत भूमि और भवन तथा 3.92 प्रतिशत उपकरण, संयंत्र और अन्य पर) था । वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों पर पूंजी परिव्यय 360.3 करोड़ रुपये तक बढ़ गया । सामान्य राजस्व से वित्त पोषित किया गया कुल उत्तरोत्तर पूंजी परिव्यय वर्ष के अंत में 295.2 करोड़ रुपये था ।

प्रबंध

संगठन

डाक विभाग, जिसका जनवरी, 1985 में तत्कालीन डाक और तार महानिदेशालय का विभाजन करके सृजन किया गया था, संचार मंत्रालय का एक अंग है । पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान संचार मंत्रालय, संचार मंत्री स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह और संचार राज्य मंत्री श्री गिरिधर गोमांगो की निगरानी में था ।

विभाग का शीर्ष निकाय डाक सेवा बोर्ड है जो नीति निर्णय लेने और क्षेत्रीय स्तर पर उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है । डाक सेवा बोर्ड का गठन जनवरी, 1985 में डाक और तार महानिदेशालय के विभाजन के तुरन्त बाद किया गया था । सचिव, डाक विभाग इस शीर्ष निकाय के अध्यक्ष हैं । उनकी सहायता के लिए बोर्ड के चार सदस्य हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव हैं । बोर्ड का एक सचिव है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक का है । बोर्ड के अध्यक्ष, महानिदेशक (डाक) और सचिव, भारत सरकार भी हैं ।

तीन स्तरों के वरिष्ठ अधिकारी उप महानिदेशक (उ.म.नि.), निदेशक और सहायक महानिदेशक (स.म.नि.) दिन-प्रति दिन के कार्यों में बोर्ड की सहायता करते हैं । कार्यकारी इकाइयों (डाक सर्किलों) के अध्यक्ष मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (मु.पो.मा.ज.)/ पोस्टमास्टर जनरल (पी.एम.जी.) के रैंक का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस ए जी) अधिकारी होता है । बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सर्किल जिम्मेवार हैं । मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल को उनके कार्यों को करने में सहायता पहुंचाने के लिए दो या तीन कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (क.प्र.ग्रे.) अधिकारी (निदेशक, डाक सेवाएं) सीधे उसके नियंत्रण में रखे गए हैं । उसके बाद वरिष्ठ समयमान और कनिष्ठ समयमान ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" अधिकारी हैं जो फील्ड संगठनों के प्रभारी हैं । फिलहाल 29 इकाइयां हैं जो सीधे ही डाक विभाग को अपने कार्यों के बारे में सूचना देती हैं ये निम्न प्रकार हैं:-

डाक सर्किल	19
नियंत्रक विदेश डाक	1
पोस्टल स्टाफ कालेज	1
डाक प्रशिक्षण केन्द्र	5
सेना डाक निदेशालय	1
डाक जीवन बीमा निदेशालय	1
मुख्य अभियंता	1

संस्थापना

भारतीय डाक सेवा के अधिकारी श्री आर. के. सैक्ष्द ने श्री पी. एस. राघवाचारी, के स्थान पर जो प्रतिष्ठापूर्ण लम्बे सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त हुए दिनांक 2 फरवरी, 1989 को महानिदेशक, डाक, अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड तथा सचिव, भारत सरकार, डाक विभाग के बतौर कार्यभार ग्रहण किया ।

31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार श्री एस. कृष्णन्, सदस्य (वित्त), श्री कैलाश प्रकाश, सदस्य (कार्मिक), श्री आर. एन. डे, सदस्य (प्रचालन) तथा श्री अजय बागची, सदस्य (विकास), डाक सेवा बोर्ड के सदस्य थे । पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान श्री आर. सी. गुप्ता, सचिव (डाक सेवा बोर्ड) के पद पर कार्य कर रहे थे ।

सतर्कता

प्रशासनिक सतर्कता निवारक, अन्वेषणात्मक और अनुशासनिक पहलुओं को भली-भांति लागू करने के लिए केन्द्रीय मुख्यालयों और क्षेत्रीय सर्किलों में सुसंगठित प्रणाली के रूप में कार्य कर रही है । पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार की 594 शिकायतों को निपटाया गया । तीन अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई गई, जबकि 83 राजपत्रित अधिकारियों और 324 अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की विभागीय जांच की गई । दो राजपत्रित अधिकारियों और छः अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में कार्रवाई की गई है । इसके अतिरिक्त 14 राजपत्रित अधिकारियों और 76 अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य दण्ड देने की भी कार्रवाई की गई थी । 28 राजपत्रित अधिकारियों और 79 अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध गौण दण्ड की कार्रवाई की गई थी । इस संबंध में की गई कार्रवाई के निष्कर्षों के आधार पर 24 राजपत्रित अधिकारियों और 116 अराजपत्रित कर्मचारियों को समुचित दण्ड दिए गए थे ।

कार्य प्रगति (1-4-1989 से 31-12-1989)

डाक प्रचालन के सुधार और विस्तार दोनों पर जोर दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का विस्तार किया जाता रहा और गहन मानीटरिंग द्वारा ग्रामीण डाकघरों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के प्रयासों पर जोर दिया गया । इस अवधि के दौरान कुल 1760 डाकघर खोले गये जिनमें से 1687 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 73 विभागीय उप डाकघर थे ।

शहरी क्षेत्रों में डाक प्रचालन संबंधी कार्यों में और सुधार लाया गया तथा उनका विस्तार किया गया । यह कार्य अंतर्देशीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट डाक के लिए देश भर में 7 नए स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलकर किया गया । सिंगापुर, नार्वे, कोरिया गणराज्य, पुर्तगाल और ओमान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट व्यापारिक सेवा तथा कतर के साथ दस्तावेजी स्पीड पोस्ट सेवा दिनांक 1.5.1989 से प्रारम्भ की गई ।

डाक पारेषण में सुधार और उसकी कार्य-क्षमता को बनाये रखने के लिए बेकार गाड़ियों के स्थान पर 50 नई मेल मोटर गाड़ियां प्राप्त की गई । अंतर्राष्ट्रीय डाक कार्यों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा ।

दिनांक 13.11.1989 से 14.12.1989 तक वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित यू.पी.यू. की बीसवीं कांग्रेस में डाक विभाग के सचिव के नेतृत्व में 6 सदस्यी प्रतिनिधि मंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया । यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि डाक विभाग के भूतपूर्व सचिव, श्री के. आर. मूर्ति को सर्वसम्मति से कांग्रेस का डोयन मनोनीत किया गया । यू.पी.यू. के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को छोड़कर किसी अन्य देश के व्यक्ति को डोयन चुना गया है । यू.पी.यू. का यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं में संशोधन, करने या उन्हें बदलने तथा अगले पांच वर्षों के लिए तकनीकी सहयोग नीति के सिद्धांत तय करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार होता है । भारत की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि, भारत की अध्यक्षता में कांग्रेस की पांचवीं समिति की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाना था । यह समिति बहुत ही महत्वपूर्ण और संजीदा मामलों, जैसे डाक प्रभार अंतर्राष्ट्रीय पत्र-डाक मदें, सेवांत देय, पारेषण पत्र डाक मदों की नई वर्गीकरण प्रणाली तथा शेष सभी, मामलों को देखती है। अंतर्राष्ट्रीय डाक कार्यों में भारत ने जो सक्रिय भूमिका निभाई, उसे सम्मान देते हुए भारत को वाशिंगटन कांग्रेस द्वारा डाक अध्ययन के लिए चुनी गई सलाहकार परिषद की सातवीं समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया । भारत यू.पी.यू. की कार्यकारिणी परिषद और डाक अध्ययन सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में तथा एशियाई प्रशांत डाक-संघ (एपीपीयू) के सदस्य और पीपीयू की ही तकनीकी सहयोग एवं स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाता रहा ।

भारत ने सार्क कार्यक्रमों के अंतर्गत जुलाई-अगस्त, 1989 में अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं पर एक सम्मेलन आयोजित किया । सभी सार्क देशों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया । अनेक भारतीय विशेषज्ञों को सलाहकार की हैसियत से अनेक विकासशील देशों में अल्प-कालिक प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया । भारत के पोस्टल स्टाफ कालेज ने एशियाई-प्रशांत देशों के डाक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए "प्रबंध और प्रचालन की आधुनिकीकरण" पर अप्रैल-मई, 1989 में एक यू.पी.यू., यू.एन.डी.पी. पाठ्यक्रम भी आयोजित किया था ।

वर्ष 1989 के दौरान भारत ने तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों अर्थात् फ्रांस में हुई फिलैक्स फ्रांस, 89 थाईलैंड में हुई थाईपैक्स-89 और यू.एस.ए. में हुई विश्व डाक-टिकट प्रदर्शनी में भाग लिया । वन्य जीवों, भारतीय संस्कृति और भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विशेषताओं से संबंधित विषयों पर विशेष/स्मारक डाक-टिकट जारी करने की अपनी निर्धारित परम्परा के अनुरूप विभाग ने राजकीय संग्रहालय लखनऊ, दरगाह शरीफ, अजमेर, भारतीय सिनेमा, अद्भुत चिड़िया लीख फ्लोरिकन और तेल के 100 वर्ष पर

डाक-टिकट जारी किए । फ्रांसीसी क्रांति की द्विशती के अवसर पर विशेष विरूपण जारी किया गया । बदले में फ्रांसीसी डाक प्रशासन ने भी ऐसा ही विशेष विरूपण जारी किया । इसी प्रकार भारत द्वारा मुस्तफा कमाल अतातुर्क पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी किया गया जिसके बदले में तुर्की डाक प्रशासन ने जवाहरलाल नेहरू पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी किया ।

डाक लेखन सामग्री की विभिन्न मदों जैसे पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्रकार्ड, हवाई पत्र, मनीआर्डर फार्म आदि पर विज्ञापन छाप कर वाणिज्यिक प्रचार के क्षेत्र में भी प्रशंसनीय काम हुआ है । अप्रैल 1989 से मार्च 1990 तक लगभग 30 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया । प्रचार सैल ने दो पत्र-लेखन प्रतियोगिताओं का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया जिसमें से एक का आयोजन यू.पी.यू. ने तथा दूसरे का सार्क ने किया।

डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए विभाग ने कुछ चुने हुए डाकघरों में वज़न मापने की इलैक्ट्रानिक मशीनें और बहुउद्देशीय इलैक्ट्रानिक काउंटर मशीनें लगाई गई हैं । धातु से बनी डाक सीलों और मोहरों की उत्पादन पद्धति तथा गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) की एक नई सीरीज 8 मई, 1989 से प्रारम्भ की गई थी। इस बचत पत्र की परिपक्वता अवधि 6 वर्ष है और छः वर्ष की परिपक्वता अवधि पर दिया जाने वाला ब्याज छः माह में 12 प्रतिशत की दर से परिकलित किया जाता है । आयकर अधिनियम की धारा 80(ग) के अंतर्गत जमा की गई राशि पर छूट दी जाती है । सितम्बर, 1989 तक डाकघरों की बचत बैंक/बचत पत्र शाखाओं में कार्य कर रहे 1889 कर्मचारियों को विशेष बचत बैंक प्रशिक्षण दिया गया ।

भवन कार्य प्रगति एक दूसरा क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिया गया है । इस अवधि के दौरान जिन 336 डाकघर भवनों और 860 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा था, उनमें से लगभग 86 डाकघर भवन और 282 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका था जबकि 67 नये डाकघर भवन और 106 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य करने की योजनाएं प्रारम्भ की गई थीं ।

सितम्बर, 1989 में नई दिल्ली में सभी डाक सर्किल अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन ने विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक-वर्ग को आपस में मिलने-जुलने और विभाग की नीति को उचित रूप से कार्यान्वित करने व कार्य-क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न कार्यकलापों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया । इसके अलावा, डाक विभाग को अपने वरिष्ठ प्रबंधकवर्ग से जो अपेक्षाएं हैं, उनपर चर्चा करने के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों में सर्किल अध्यक्षों द्वारा अनुभव की गई व्यावहारिक दिक्कतों पर उनके संभावित हल पर चर्चा करने का अवसर भी दिया । राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान 14.10.1989 को एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न व्यापारिक और वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श का मुख्य पहलू डाक सेवाओं को उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुसार बनाने के लिए इन सेवाओं में आगे और सुधार करना था ।

उच्च स्तर के कार्य-निष्पादन के आधार पर दिनांक 14 अक्तूबर, 1989 को 9 कर्मचारियों को प्रतिष्ठित "मेघदूत पुरस्कार" प्रदान किये गये । नवम्बर, 1989 के आम चुनावों में डाकघरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और डाक मतपत्रों का बहुत बड़ी संख्या में का शीघ्र निष्टान किया गया और इन्हें निर्वाचन अधिकारी को समय पर वितरित किया गया । सम्पूर्ण देश में चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को विशेष डाक सुविधाएं भी प्रदान की गई थीं ।

OVERVIEW

Postal Administrations all over the world, are now faced with a major turning point. Innovations in high technology communications began in late seventies. In early eighties people began predicting that the postal services will shortly be marginalised in the developed world, and will play a much minimised role in the developing countries. These predictions have not come true yet. However, the fact remains that the communications scenario has changed substantially and postal systems have to respond to change in a creative and innovative manner.

While there is no real threat to the Post Office from high technology, there is a definite role for high technology in the Postal Systems. The problem of shortage of space and shortage of time in the quick disposal of mails can ultimately be solved only through the introduction of new technological inputs. Similarly, the Indian Post Office, which handles enormous amount of money involving millions of transactions to be recorded on paper, must opt for computerisation sooner rather than later.

The larger challenge that the Postal System is facing is from private enterprises. On account of numerous constraints, especially due to the vast bulk of mail that the Post Office handles, the Postal System cannot always provide the quickest transmission mode for letters and packets. Private enterprise has, therefore, flourished all over the world in the shape of couriers. The Indian Postal Administration has responded to the inroads through the private enterprise in a constructive way. The introduction of Speed Post and its successful operation for conveyance of mail as well as transfer of money is providing an effective response to couriers. We are framing views and policies regarding induction of high technology in day-to-day operations without detriment to employment opportunities and without treating staff surpluses. The question of providing higher and additional skills to the existing personnel is also being examined.

During the last decade or more, the Indian Post Office has felt a constraint of resources. The revenue generated by the postal services falls short of the money needed to run the services. While there has not been any considerable increase in staff, staff costs themselves have been accounting for 80% of the expenditure. On the other hand, non-increase in staff has, in the context of growing traffic, created its own problems. During the year under review, the Department took new initiatives in this area as well.

The Department of Posts realises its responsibilities towards the rural areas where more than 75% of our population lives. No doubt, the postal network has seen tremendous expansion in the past. However, constraints of resources and want of adequate traffic slackened the pace of growth in recent years. The Post Office being a common man service, it is one of the duties of the Department of Posts to ensure that facilities to the common man in the rural areas are both strengthened and expanded. During the year under review, the Department has, therefore, concentrated on evolving new norms for the opening of new Post Offices. Studies are also being undertaken to ascertain the actual impact of the postal facilities on the rural areas. The scheme of Panchayat Dak Sewaks and the concept of the Panchayat village being the focal point for providing facilities have been reviewed and controlled expansion of both the schemes has been envisaged.

New areas for revenue generation and introduction of new services to enhance the earning capability of the Department of Posts are being examined. The Postal Services are at present being provided to the people at a cost much lower than the

actual expenditure on each item of service. Cost reduction can, therefore, take place only if the services are retailored in such a way as to derive more revenue from corporate and other customers who use the Postal Services on a bulk scale.

The question of improving the service conditions of Extra Departmental Employees is an important new item on the policy agenda of the Department. The Extra Departmental Employees are regarded as holders of civil posts under the Government. However, since they work on a part-time basis only, they are remunerated according to a formula which is mainly linked with workload. The question whether a better system of remuneration and service conditions can be introduced and whether additional cost of such policy initiatives can be derived from other revenue generating activities is receiving our attention.

Since the cost of each item of service is generally much greater than the actual expenditure on it, the Indian Postal System is facing an arduous situation. While the traffic has been increasing at a satisfactory rate, with each increase in traffic, the expenditure has also gone up, and so has the gap between revenue and expenditure. Although the Government does not look upon the Postal Service as a profit producing instrument, the aim is that the service should pay its way through, or at least contain its losses. As a result of concerted effort on economy without detriment to efficiency, the Department succeeded in bringing down the deficit in 1988-89 to Rs.169.70 crores from Rs.190.90 crores in the year1987-88.

The total postal traffic during the year under review was 4628 million against 4612 million in the year 1987-88.

One of the important thrusts during the year was on motivating the staff to give better output by recognising their excellence. With this end in view, the scheme of Meghdoot Awards at the national level and Dak Sewak Awards at the regional level was expanded and made more attractive. Promotion of sports and welfare activities also received greater attention. Some of the sportsmen and women representing the Department achieved recognition in national and international arenas.

The Department had to face a one-day strike on 25.5.1989. The strike call was given by one of the three Federations representing the staff. Although action was going on to meet and implement all the reasonable demands of the Federation and continuous dialogue was being held with them, the Federation saw fit to call the one-day strike. Since the strike call was not responded to by a large segment of the staff, it did not cause any substantial dislocation in the services. In the spirit of the past tradition of good employer-employee relationship which has been the policy in the Department of Posts over the last fifty years and more, the Department has continued to hold dialogues with the staff representatives on all the issues.

In order to bring the higher level of Administration nearer to the field, reorganisation of the Circle structure is being carried out. Under the new scheme, the country will continue to have 19 Postal Circles; but there will be 59 regions, each of them headed by a PMG level or even higher level officer. Restructuring of some of the operative other cadres is also actively under consideration with a view to improving efficiency and also providing better promotion and job satisfaction to the staff.

As a whole, the year 1988-89 can be looked upon as an important phase in the development of Postal Services in the country. Creative and innovative responses have been framed to the new challenges, and far reaching initiatives have been started. The financial position of the Department has improved slightly and is expected to get better as new schemes for generating more revenue are put into operation.

IMPROVING POSTAL OPERATIONS

Goals

Improving the quality and spread of the service and maximising customer satisfaction was the thrust during the year. Our entire operational set up is geared towards achieving these ends. During the year under review, the existing network was strengthened and several new measures were initiated to ensure greater customer satisfaction and acceptability.

Expansion of the Postal Network

The Postal network as on 31-3-1989 consisted of 1,45,238 Post Offices, of which 1,29,045 were in the rural areas and 16,193 in the urban areas. Each post office serves, on an average, an area of 22.63 sq.km. and a population of 4,718. With this level of development, the country is well within the norms adopted by the Universal Postal Union (UPU) that there should be one post office to serve on an average either an area of between 20 to 40 sq.kms. or 3000 to 6000 inhabitants. There were 4,94,661 letter boxes in the country, out of which 4,12,506 were in rural areas and 82,155 in urban areas.

In order to facilitate expansion of rural postal services the concept of a permissible limit of loss (Rs.2,400 per annum per Post Office in normal areas and Rs.4,800 in hilly, backward and tribal areas) was given up. New Post Offices are now opened subject to a minimum income of 33-1/3% of cost in normal rural areas and 15% of the cost in hilly, backward and tribal areas.

Of the 2,548 new post offices sanctioned under Annual Plan 1988-89, 569 Post Offices (22.33%) were sanctioned for the special category States (Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur, Tripura and Arunachal Pradesh) and for Andaman and Nicobar Islands. In the A&N Islands – 7 Islands (Rutland, Trinket, little Nicobar, Peel, Kondul, Pulomilo and Strait Island) have been brought into the National Postal Network for the first time. During the year 807 new Post Offices were opened.

The scheme of Panchayat Dak Sewaks was further extended during the year. 2,878 gram panchayats in 16 States and Union Territories were covered during the year.

Number of Post Offices

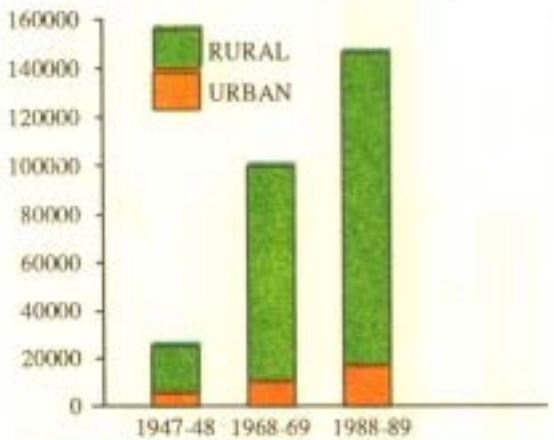

Mail Traffic

The postal traffic continued to show a steady growth. During the year, the Department handled 4,628 million pieces of mail. Outward foreign parcel traffic showed a slight decline. The total number of outward foreign parcel was 2.18 lakhs against the previous year traffic of 2.41 lakhs. Foreign inward parcels handled numbered 5.62 lakhs whereas in the previous year it was 6.3 lakhs. Parcels handled in transit numbered 12,535.

Postal Traffic Since 1980-81
(Adjusted to Revenue)

(In Millions)

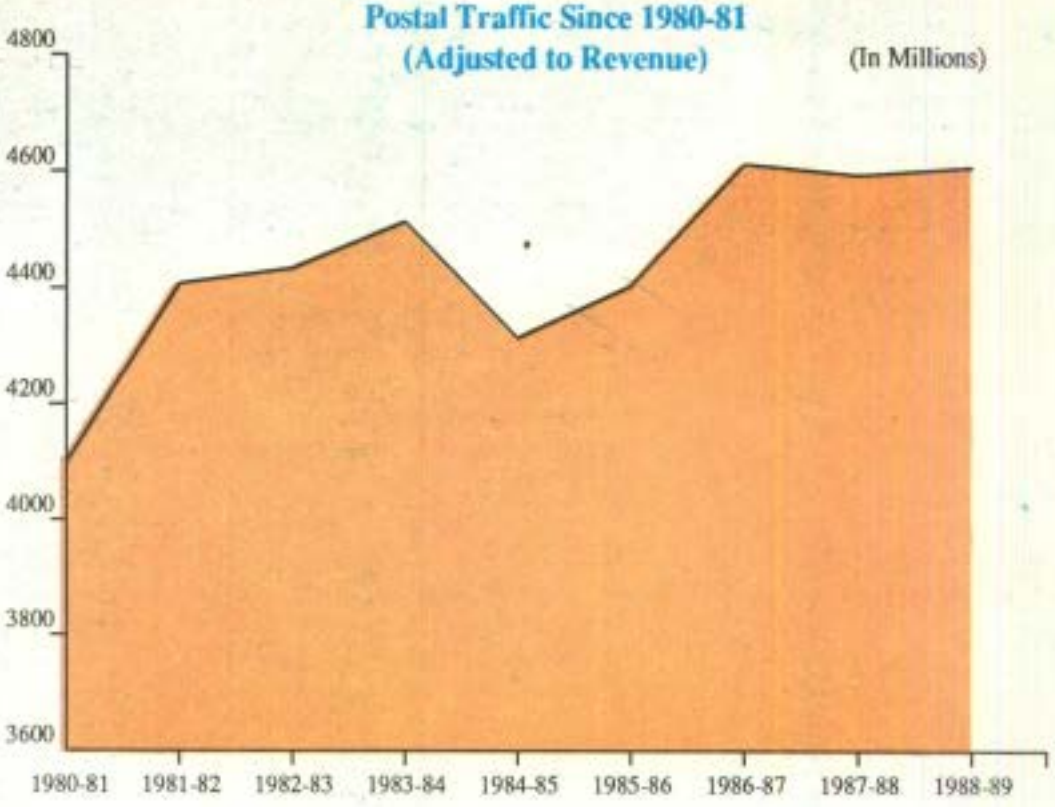

Articlewise Postal Traffic

(In Millions)

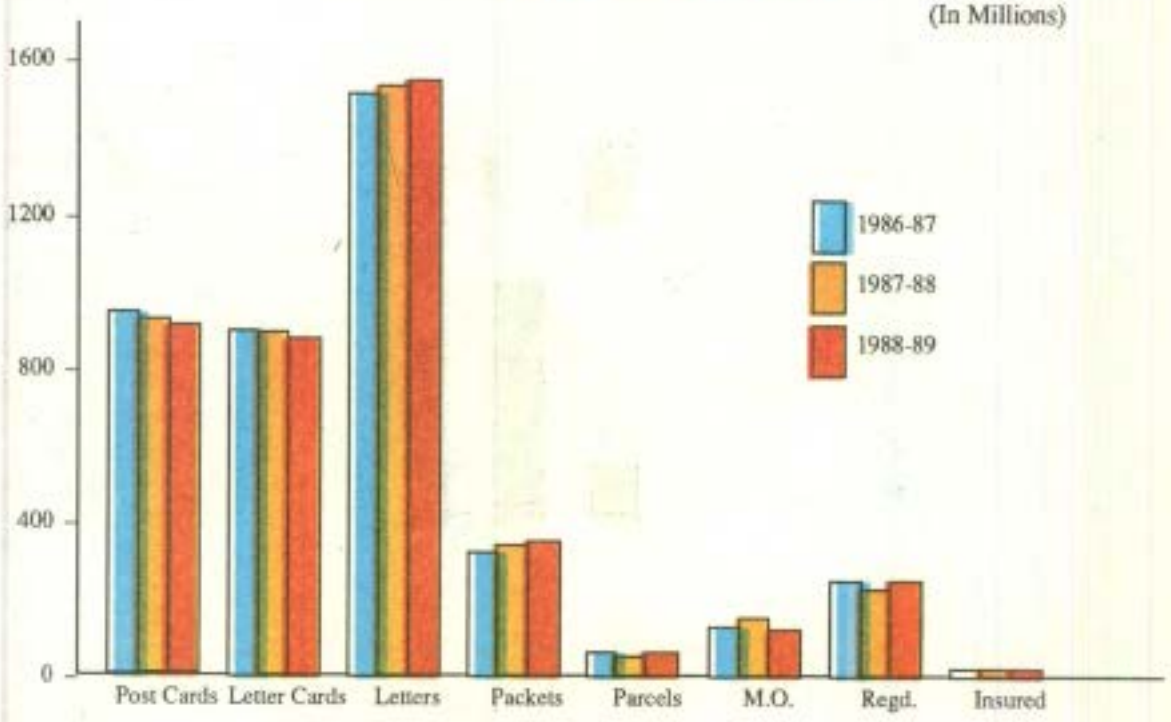

Speed Post

The Department is now facing competition in some areas of its traditional operations. While the Department has the monopoly over the transmission of letter mail, private couriers have claimed a share of the market for transmission of documents and parcels. Making use of its long tradition and expertise in the area of transmission and delivery of mails, the Department introduced a guaranteed delivery service in 1986 called 'SPEED POST' as a cheaper and more reliable alternative to the private courier services. During the year under review, the Speed Post service was enlarged to include 13 more centres, thus bringing the total number of centres in the country to 50.

The traffic analysis of the Speed Post service reveals customer acceptability and growing utilisation. Thus, starting from a modest 68,264 articles in 14 Speed Post Centres in April 1987, the traffic increased to 2,18,993 articles by March 1989 from 50 Centres and 6 Extension Counters, showing a growth of more than two hundred per cent. Traffic figures of individual centres also reveal great acceptability of Speed Post.

In the international area, Speed Post Service has been linked to 34 countries. The Department introduced insured Air Parcel Service with the Postal Administration of Brazil with a maximum insurance limit of Rs.10,000/.

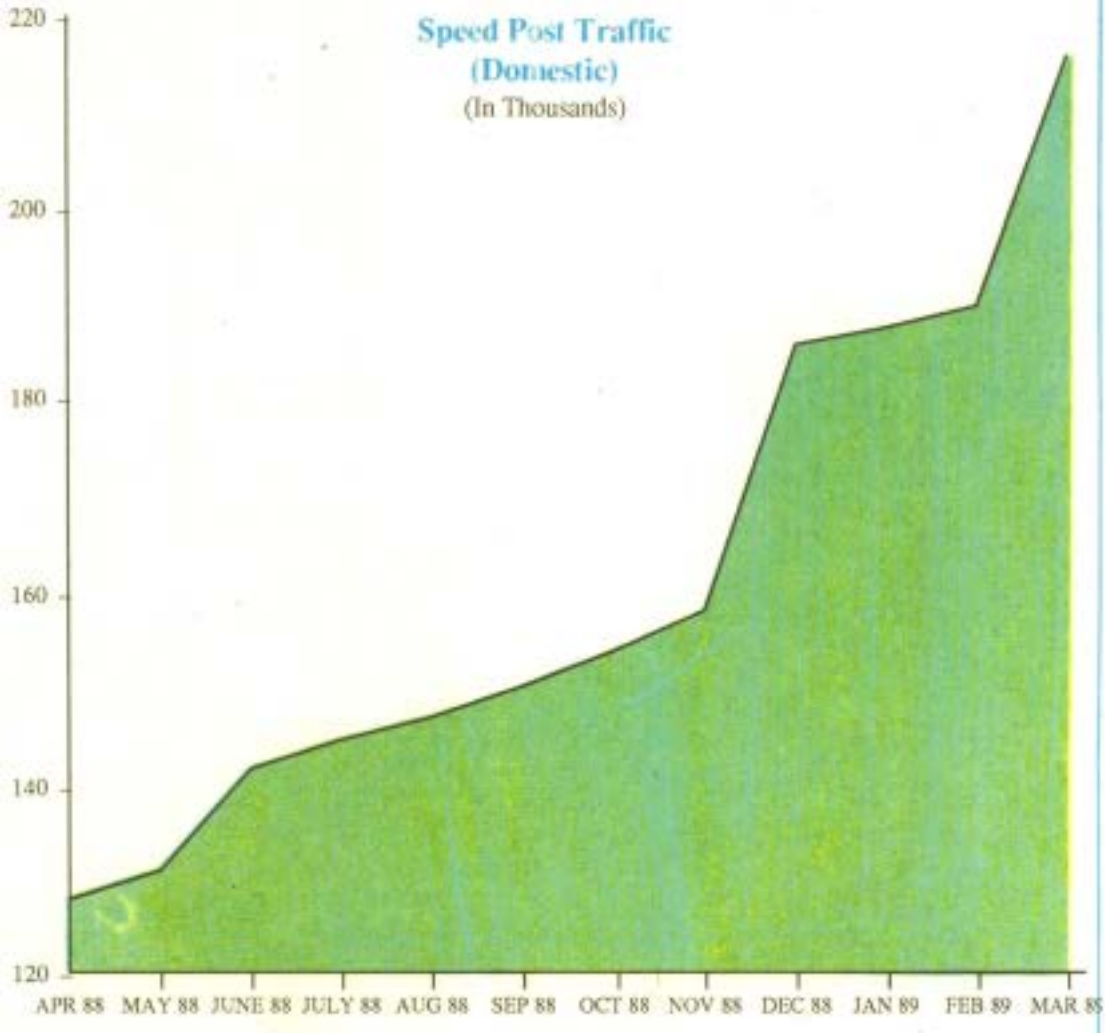

New Services

Speed Money Order

The Department introduced the novel service SPEED MONEY ORDER effective from 14.5.1988. It provides the fastest money transfer system through speed post network with a guaranteed delivery of such money orders at the doors of the recipients in any of the speed post centres.

This service is provided at a nominal additional fee of Rs.5 per speed money order, irrespective of its value. Further, such money orders would be paid on holidays also (excluding three national holidays) if the customer so desires on an additional holiday delivery fee of Rs.3. As even the best of banking system does

not provide for payment of cash at the doors of the recipient, speed money order has revolutionised money transfer system within the country.

International Merchandise Speed Post

International merchandise speed post service was introduced with effect from 15.4.1988. Under this service, all articles other than those for which insurance is compulsory can be sent as merchandise speed post items. During the year under review, international merchandise speed post was established with 19 countries.

Technology Upgradation

Prior to launching a large-scale induction of high technology in postal operations, action was taken during the year to introduce limited but varied technology innovations in various postal operations. R&D efforts to introduce electronic weighing scales resulted in the development of a prototype which was tested successfully. These scales display the postal tariff payable and the weight of the article placed on the scale. Two machines were introduced in Delhi Postal Circle successfully. Ten weighing scales were introduced in the same Circle in September 1989. Experiments to introduce multi-purpose weighing machines were also quite successful. Five machines have already been installed and are working successfully in Delhi Circle. Order has been placed for 25 more machines. These machines are PC based and perform multifarious functions. One of the important recommendations of the Committee on Postal Excellence was that we should introduce 20,000 PC based counter machines over the next five years. This recommendation has been accepted for implementation. Necessary software has been developed by a scientific laboratory in Srinagar. Further action to induct more machines over the next Five-Year Plan is on hand.

As a first step towards tackling the problem of shortage of time and space in major sorting offices, it has been decided to introduce a fully automatic sorting project at Bombay. The Computer Maintenance Corporation has been engaged as a Consultant and preparations for floating a global tender for installing and commissioning the system are in progress.

Attempts for indigenous manufacture of high quality postal cancellation stamps have met with reasonable success. A firm in Delhi has developed a polymer based hand cancellation stamp which compares favourably in quality with similar stamps produced in foreign countries. An order for 300 stamps has been placed. The order will be enlarged when adequate manufacturing facility in the country would be available. Meanwhile, the R&D Wing of the Department made a study to identify the reasons of the poor quality of stamps and seals manufactured at Aligarh by the Society which is the traditional supplier of all stamps and seals to this country and also to some neighbouring countries. On the basis of the recommendations made by the R&D Wing, modern equipment for appropriate heat treatment to the stamps is being installed at Aligarh to ensure better hardness and durability to the stamps manufactured there.

The R&D Wing also took up studies to develop a lighter material for making mail bags. As is well known, the traditional material, namely, jute, is not only expensive but also heavy which adds to the transportation cost. Since it gathers and retains dust in large quantity, a jute bag is also a health hazard. As a result of the efforts made by R&D Wing, manufacture of a synthetic material consisting of jute and high density polythene was successfully made by the National Jute Manufacturing Corporation on the technology provided by the Jute Technological Research Laboratory, while as durable as jute, the material is 30% lighter than jute proper. The National Jute Manufacturing Corporation manufactured material sufficient for 500 bags for testing. These bags are now being tested in different offices and their use will be expanded subject to successful testing.

The Expert Committee on Postal Excellence has also recommended introduction of electronic mail. Action has been initiated to develop necessary hardware and software for the

implementation of this project. The Telecom Commission and C-DOT are also assisting the Department in its efforts in this direction.

Software is being developed by the National Informatic Centre for computerisation of Postal Life Insurance work. This has followed the successful operation of a computer used for PLI accounting in Bangalore. Once the appropriate software as developed by the NIC is in hand, computerisation in PLI will be introduced in other important centres as well.

A decision has already been taken to computerise Head Post Offices accounting. Tenders have been floated for supply of hardware and development of software to computerise accounts in 20 Head Post Offices in Tamil Nadu Circle in the first instance. The use of computers in Head Post Office accounting will be expanded to more Head Post Offices in the coming years, subject to successful operation of the scheme in Tamil Nadu.

Postal Premises

One of the thrust areas of improving Postal operations is to provide specially designed spacious buildings for Post Offices. During 1988-89, the Department received an allocation of Rs.28.5 crores towards construction of office buildings, staff quarters, purchase of lands and petty works. However, the Department was able to increase its outlay on building programmes during the year to Rs.33.27 crores by utilising additional Rs.4.77 crores through re-appropriation. Construction of 156 new Postal and RMS buildings, including extension to existing 7 buildings and 352 staff quarters was taken up. 112 office buildings including extension to existing 7 buildings and 535 staff quarters were completed during the year.

Savings Bank

The public continues to repose its faith in the Post Office Savings Bank which is one of the biggest banks in the country. With a view to providing better service to the depositors and to bring about economy in operation, various measures were undertaken in the year 1988-89. Some are summarised below:

- The maximum limit of deposit in the Monthly Income Account Scheme has been raised from Rs.1 lakh to Rs.2 lakh in a single account and from Rs.2 lakhs to Rs.4 lakhs in a joint account.
- A 'Pilot Project' for computerisation of SB&RD/CTD accounts of Parliament Street Head Post Office was undertaken successfully, and manual maintenance of duplicate ledger was discontinued on 1.4.1989. All activities at the SBSO branch are now performed by the Computer Centre.
- Incentive commission is now allowed to EDBPMs/EDSPMs irrespective of the location of the Post Office in a rural area or in an urban area. Previously, incentive commission to EDBPMs/EDSPMs was admissible in rural areas only.
- The registration and verification of claims under the protected Savings Schemes is now done by Head of the Circle and not by the National Savings Commissioner as was being done earlier. This has facilitated the process and made it less time taking.

New Scheme

A new series of Saving Certificates called Kisan Vikas Patra was introduced on 1.4.1988. Any number of Certificates in the denomination of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- can be purchased. The maturity period for these certificates shall be 5-1/2 years commencing from the date of issue. The amount inclusive of interest payable on encashment after expiry of maturity period shall be Rs.2,000/- for the denomination of Rs.1,000/- and at proportionate rate for any further denomination.

Savings Schemes

The Post Office provides a number of schemes suited to the specific needs of the depositors. Apart from the traditional savings facilities such as Savings Accounts, Recurring Deposit Accounts and Time Deposit Accounts, Post Office provides the following attractive savings schemes.

National Savings Accounts Scheme

The entire amount deposited in a year under the scheme qualifies for tax exemptions under section 80-CCA of Income-Tax Act. A maximum of Rs.30,000/- can be deposited in a year under the scheme. This carries an interest of 11%.

Post Office Monthly Income Accounts Scheme

The deposits under the scheme carries interest of 12% p.a. and is payable monthly. While the maturity period is

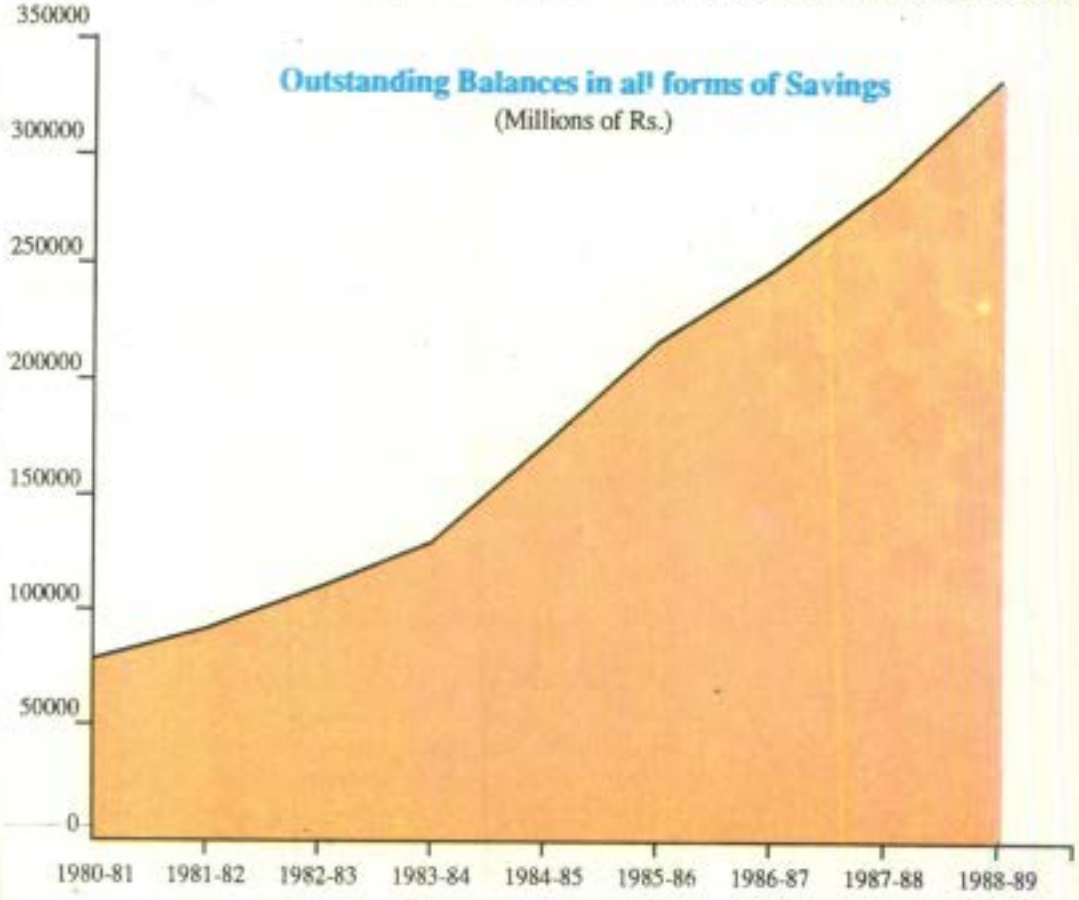

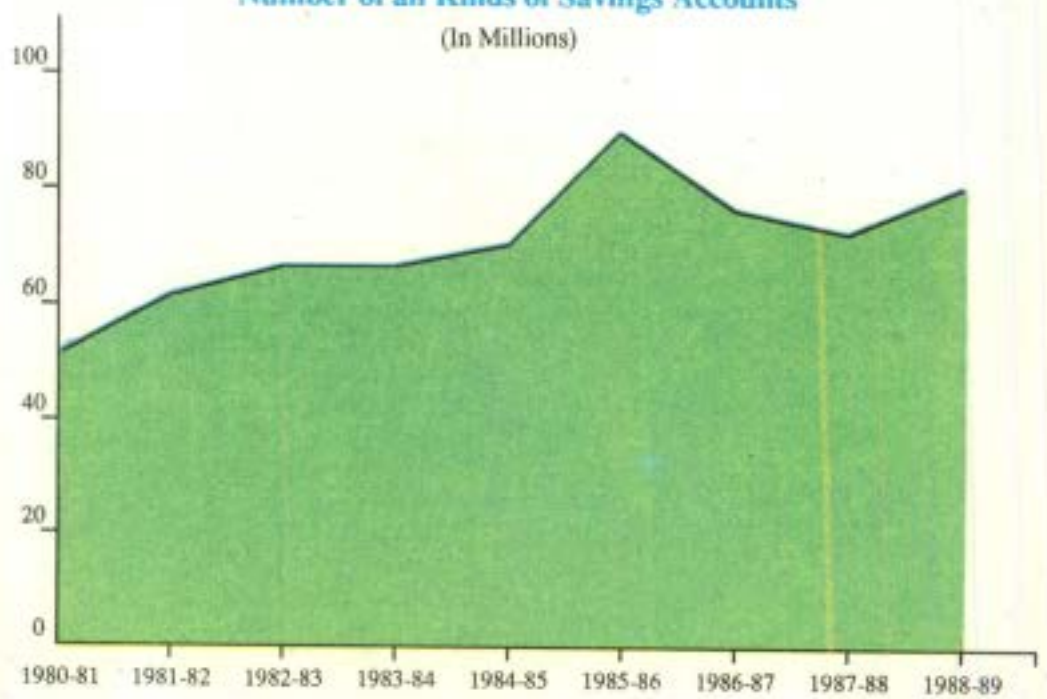

6 years it can be prematurely encashed after 1 year at 5% discount. An additional bonus of 10% payable on maturity is an added attraction of this scheme.

Indira Vikas Patra

Anyone can purchase the patras which are freely transferable and negotiable. These patras are in the denomination of Rs. 100, 200, 500, 1000 and 5000. Sale value is half of the face value which the holder gets doubled in 5-years period. Patras do not bear the name of the purchaser and there is no limit of holding.

Social Security Certificates

Individuals in age-group of 18–45 can invest in this 10-years scheme with maximum ceiling of Rs.5,000/-. The value of certificates treble on maturity. If the holder dies after two years of the purchase the nominee or the legal heir is entitled to receive full maturity value.

Postal Life Insurance

The Postal Life Insurance Scheme was introduced by the Government of India in the year 1884. The scheme is administered and operated by the Department of Posts. Like the Savings Bank, the Postal Life Insurance continues to show an upward trend both in terms of number of policies as well as premium per policy. Postal Life Insurance offers the following four policies:

- Endowment Assurance
- Whole Life Assurance
- Convertible Whole Life Assusrance
- Anticipated Endowment Assurance

The Anticipated Endowment Assurance policy covers risk as well as it provides for periodical monetary returns commencing much before maturity. In the event of death of the insurant during the currency of the policy, the dependants are entitled to full amount of the sum assured along with accrued bonus irrespective of the amounts paid as survival benefits. Whole Life Policies can be converted into Endowment Assurance Policies after 57 years of age of insured. A policy holder can also apply for reduction of his monthly premium and sum assured without altering the class of his policy. Policies can be surrendered or made paid up after 3 years of payment of premia. Revival of policies lapsed due to non-payment of premia during the first 3 years of commencement of the policy is allowed on production of good health certificates and payment of the arrears of premia with interest at 8%.

Postal Life Insurance charges low premium rates uniformly for all insurants. A rebate of 2% is also allowed on premia paid in advance for one year. Postal Life Insurance has been giving

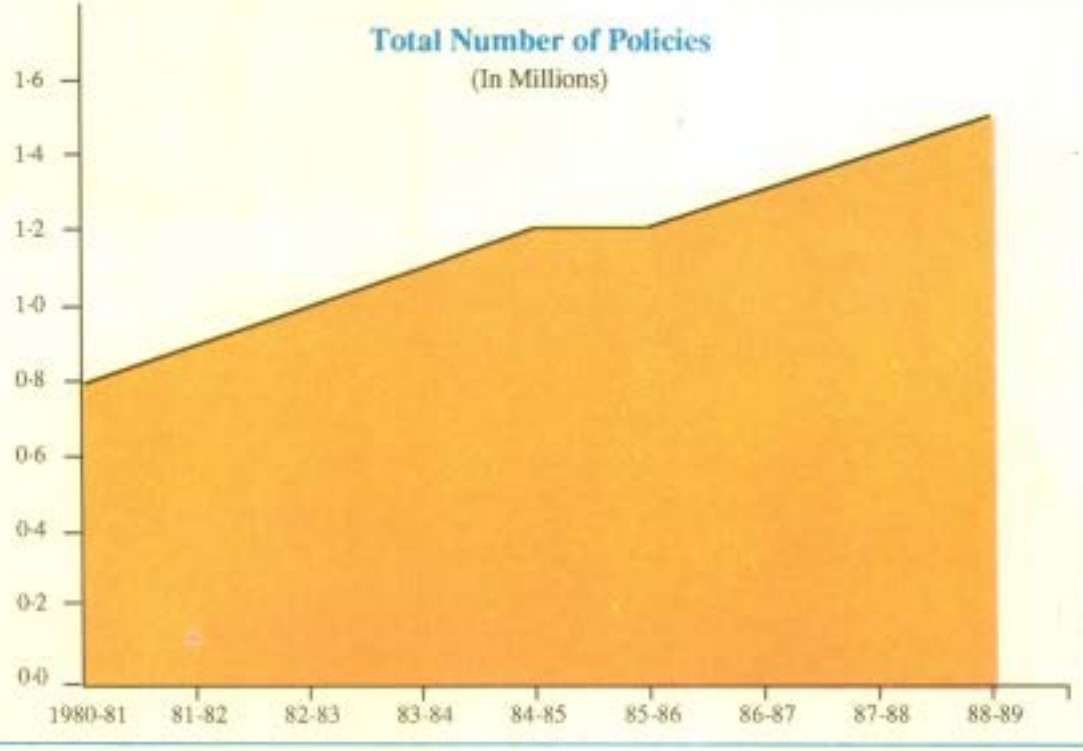

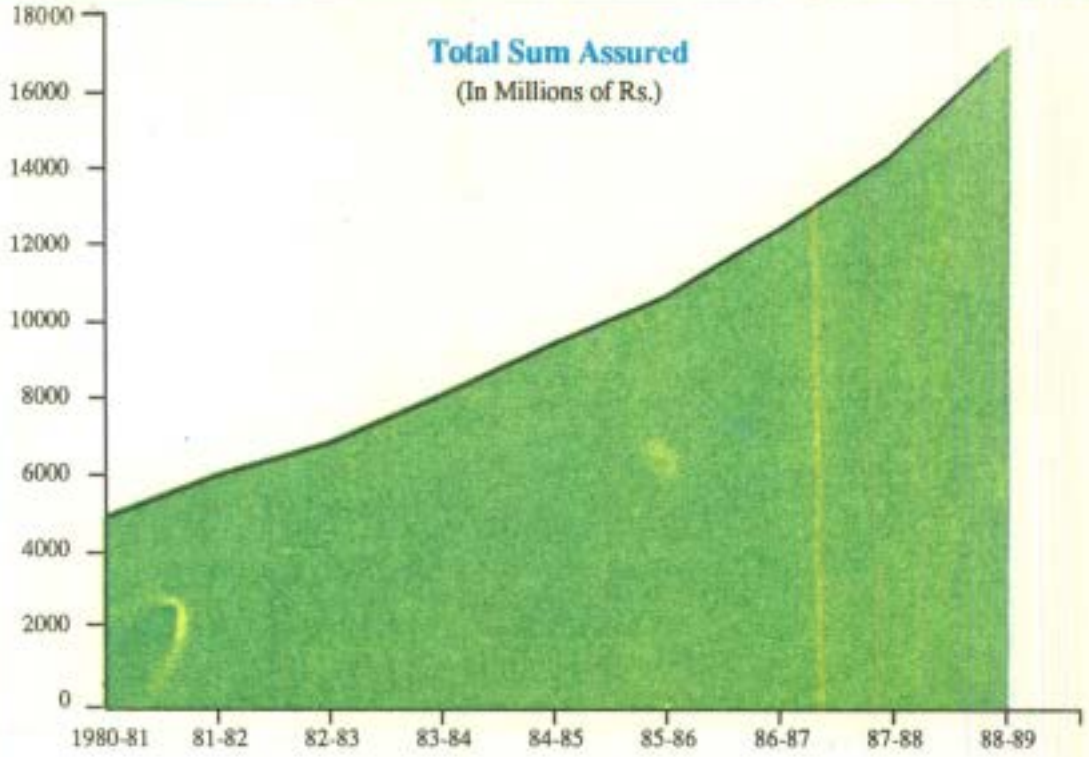

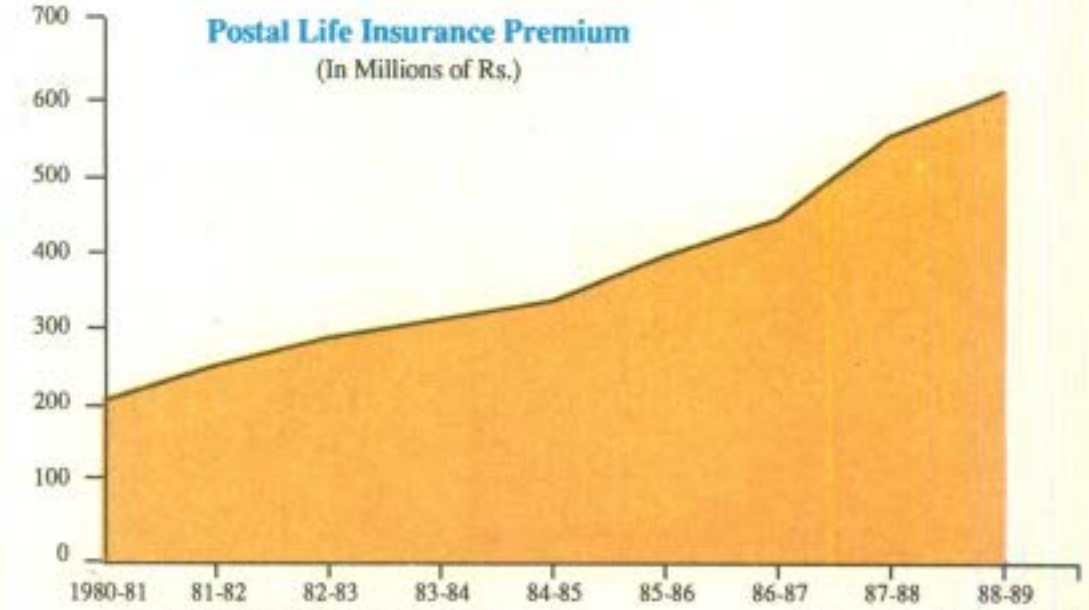

progressively higher rates of bonus to its clients. Bonus declared durign the last few years is as follows:

	Whole life	Endowment Assurance
	(per thousand sum assured per annum)	
1983-85	Rs. 59/-	Rs. 47/-
1985-86	Rs. 67/-	Rs. 54/-
1986-87	Rs. 74/-	Rs. 60/-
1987-88	Rs. 78/-	Rs. 63/-
1988-89	Rs. 80/-	Rs. 65/-

Philately

During the year under review, the Department brought out 57 new stamps in the commemorative/special categories. In addition, two special stamps in the definitive series were brought out.

Two State level philately exhibitions were held in Andhra Pradesh and Karnataka. The Department also

participated in four international philately exhibitions in Finland, Czechoslovakia, South Korea and Iraq.

A large number of stamp cancellations and special covers were also released through philatelic bureaux 46 and 155 philatelic counters throughout the country.

India - 89: Indian Post hosted World Philatelic Exhibition India 89 from 20th January to 29th January 1989. The Exhibition was inaugurated by the President of India. Nearly 800 Philatelists from 90 countries participated in the India 89 in the 'exhibition class'. Twelve foreign postal administrations, four foreign stamp dealers and nine Indian stamp dealers provided rich material for sale through 32 booths.

Public Complaints

Compliants about traffic delays showed a decrease from 7,11,925 in 1987-88 to 6,81,417 in 1988-89. Complaints as a percentage of total traffic handled were a mere 0.00489%. While in percentage terms the complaints are negligible and the Department has reason to have a sense of satisfaction, yet conscious efforts were continued to be made to treat each complaint as a reflection on the total service and to ensure that redressal is given quickly and snags are removed without delay. The Department continued to work in close liaison with the Central Department of Administrative Reforms and the Directorate of Public Grievances in removing cause of complaints and monitoring areas which are complaint-prone.

Improvement of Postal Procedures

The scheme of financing Post Offices through Nationalised Banks was extended to Madhya Pradesh Circle.

The Indian Postal Order of 50 paise denomination were discontinued and use of stamps up to Rs. 3/- permitted to be affixed on Indian Postal Orders for making up the broken amount. This has helped in reducing the number of Indian Postal Orders required to be purchased for odd values.

D.G's circulars which had been discontinued have been reintroduced. They contain important information, notice of change in rules and procedures, and relevant announcements.

It has been made compulsory for the senders of registered articles to give their address so that if the articles is undeliverable, it may be returned to them quickly.

A scheme of granting 2% rebate for bulk mailers of registered articles was introduced if the articles are presorted and presented duly entered in a special Registered Journal and Registered List.

HUMAN RESOURCES

Manpower Employment

With such a widespread network serving the needs of people all over the country, the Department has to rely on the efficiency, hard work and sincerity of its staff. The Department continued to be one of the biggest employers of the Government, accounting for about 8.93% (as on 31.3.86) of the entire Central Government establishment. The total staff strength as on 31.3.1989 was 5,87,311 comprising 2.88 lakh regular employees and 2.99 lakh extra-departmental employees.

Departmental Staff Strength Since 1980-81

(In Thousands)

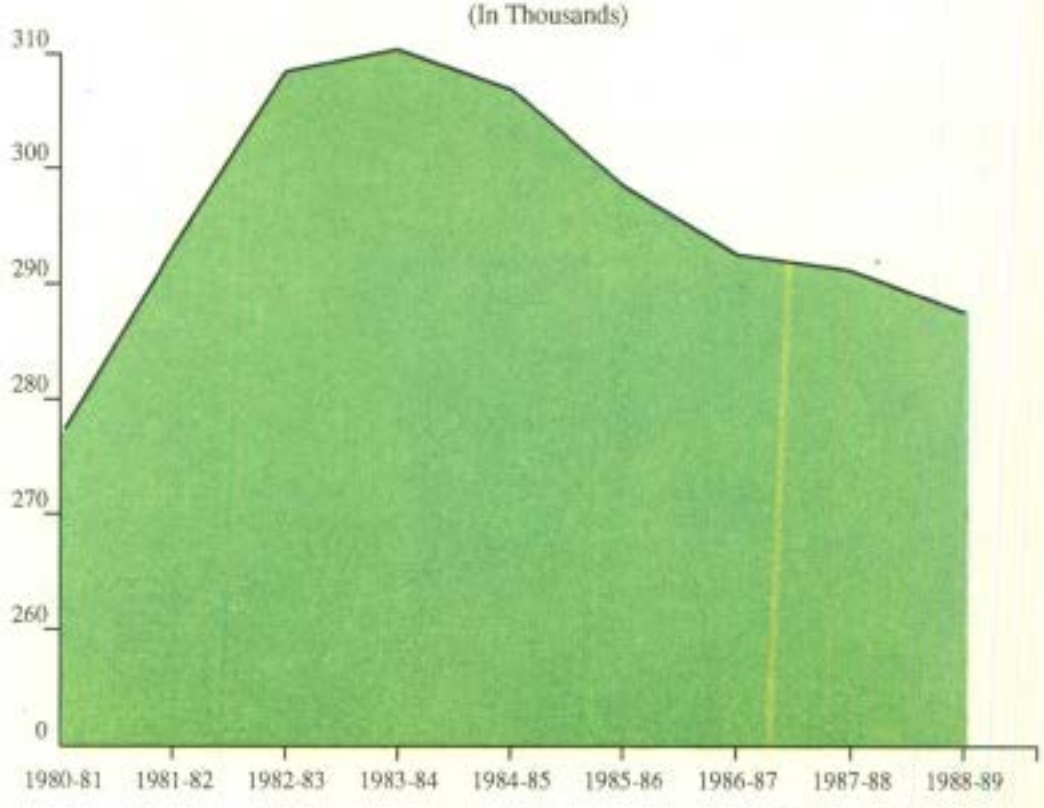

Training

Training of staff has been one of the thrust areas of the Department. There are five Regional Training Centres which provide induction and in-service training to operative and supervisory staff. During the year, about 9,000 officials were imparted such training. The Department's national level institution, the Postal Staff College, provides induction training to the directly recruited officers of the Indian Postal Service and Indian P&T Finance and Accounts Service. 172 officers of different cadres attended the training programme conducted by the Postal Staff College. This included refresher courses, seminars, workshops and Executive Development Programmes. The training centres were also utilised for training officers of foreign Postal Administration.

The Postal Staff College conducted a Workshop on International Mail

Staff Strength as on 31.3.1989

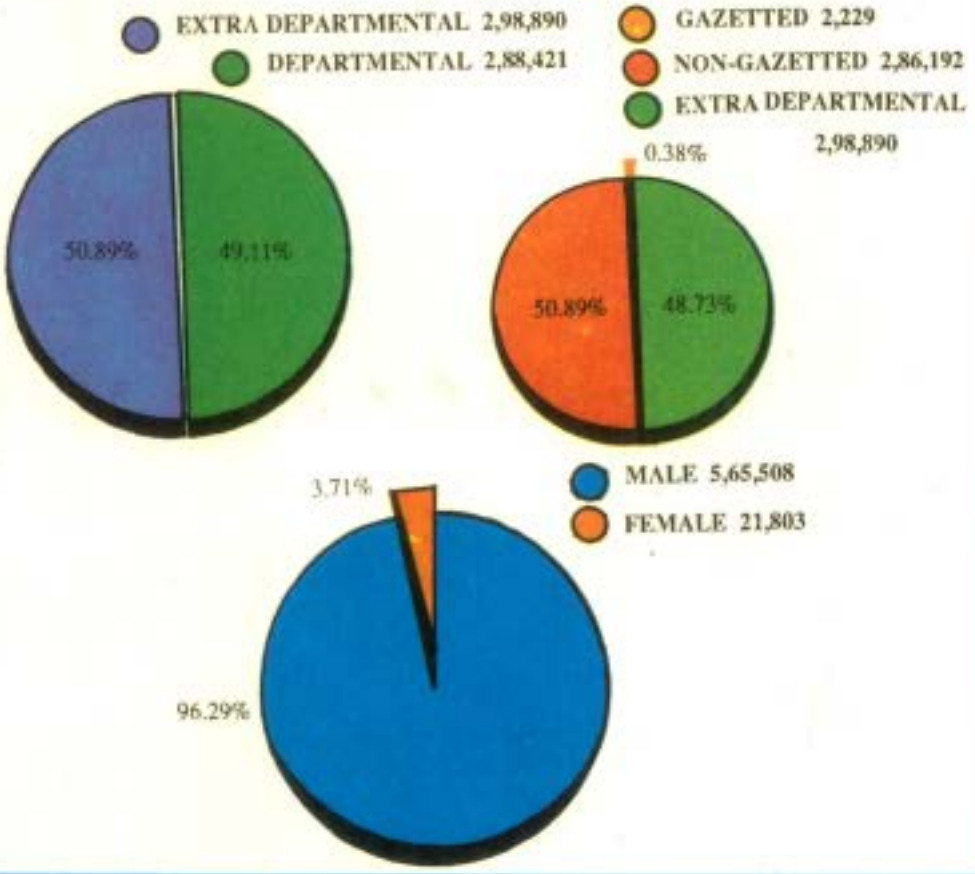

Circulation on behalf of the Universal Postal Union in which 17 officers from 15 countries took part. India was represented by five participants. The work on the Postal Staff College building at Ghaziabad is in progress and one wing of the building has been completed.

Staff Relations

The Department of Posts has recognised three Federations and 26 Unions/ Associations to represent the postal staff. The National Federation of Postal Employees, the Federation of National Postal Organisation and the Bharatiya Postal Employees Federation and some other Unions/Associations submitted Charters of Demands which were duly considered and the nature of action taken on the demands was explained to their representatives with satisfactory results. On the whole, the relations between the Administration and the Unions in the Department remained cordial during the period from April 1988 to March 1989 but for some local incidents and dharnas, etc. at local levels.

One meeting of the Departmental Council (JCM) was held on 27th and 28th July 1988 in which 89 items were discussed. Another meeting of the Departmental Council had to be postponed at the request of the staff side. Five periodical meetings were granted by the Secretary to the various Federations/Non-Federated Unions/ Associations and a large number of items were discussed. Secretary also granted special interviews to representatives of the three Federations on 19.4.1988 and 22.4.1988. Three meetings of the Standing Committees of the Federations were also held in which the progress of the items carried forward from the periodical meetings was discussed. Member (Development) also granted a special interview to the representatives of All India Savings Bank Control Employees Union on 29.12.1988 to discuss their problems.

National Postal Awards

Recognition and appreciation of meritorious service rendered by the employees is an important motivational strategy. With this end in view, National Postal Awards known as 'Meghdoot' Awards were instituted in 1984. Awards are also given at Circle level. These are known as 'Dak Sewa' awards.

The Meghdoot Awards are open to the following categories of the staff who are selected by a committee on the basis of recommendations of the Heads of Circles:

- Extra Departmental Employees of all categories;
- Group 'D' officials; Postman and employees of equivalent rank;
- Group 'C' officials working as head of an office;
- Postal and Sorting Assistants;
- Supervisory officials in LSG, HSG, Inspectors, Asstt. Superintendents of all categories;
- Women employees belonging to any of the above categories.

The following employees of the Department of Posts were presented the 'Meghdoot Award' for excellence in performance for the year 1988 on 12th October 1988 by Shri Giridhar Gomango, the then Minister of State for Communications:

- Shri G.N. Trivedi, Branch Postmaster, Gujarat Circle;
- Shri G. Victor Dhanraj, Postman, Karnataka Circle;
- Shri K. Rajendran, Postal Assistant, Kerala Circle;
- Shri Dhruba Charan Behera, Postal Assistant, Orissa Circle;
- Shri Amar Singh Saini, Assistant Superintendent of Post Offices, Himachal Pradesh; and
- Smt. M.K. Meera, Supervisor, SBCO, Karnataka Circle.

Health Care

In order to ensure the health care of the staff the Department runs 55 dispensaries which are functioning at 45 stations in the country. These dispensaries provide extensive outdoor medical facilities including domiciliary visits, routine laboratory tests and supply of medicines. The dispensaries also cater to the employees of the Department of Telecommunications. The dispensaries provide timely and adequate medical facilities to the employees and their family members.

Welfare

For a large manpower employing organisation like the Department of Posts, welfare of personnel is of paramount importance. Keeping this in view, a Postal Service Staff Welfare Board has been constituted under the chairmanship of the Minister of Communications. The objectives of the Board are to promote and develop staff amenities and welfare, sports and cultural activities. A scheme to appoint outstanding sportsmen to various operative posts is also in existence. During the year 1988-89, a sum of Rs.70 lakhs was spent on welfare activities. A sum of Rs.28 lakhs was spent on sports. Special allocations were made to Assam and Punjab Circles to grant financial assistance to the flood affected employees in those Circles. Special grants of Rs.20,000/- in the case of regular employees and Rs.10,000/- in the case of EDAs were sanctioned to the families of employees killed by terrorists in Punjab. Amounts of grant for flood/fire relief/ conveyance allowance and hostel subsidy for the handicapped and mentally retarded children of the employees have been enhanced. Benefits available for handicapped and mentally retarded children of Postal employees have now been extended to blind children also.

There are Holiday Homes at 16 places to provide rest and recreational facilities to the employees and their families. The proposal for opening of a Holiday Home at Pahalgam (J&K) and construction of a holiday home at Saputara (Gujarat) has been approved. 39 beds for treatment of employees and their families suffering from TB are reserved in different sanatoria/hospitals throughout the country. Libraries, canteens and recreation clubs supported by the Department, functioned at various stations throughout the country.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes

The Department is implementing in full the existing Government order for observing relaxed standards for the recruitment and promotion of SC and ST candidates. Keeping in view the need for providing adequate encouragement to the SC and ST candidates, the Department has further decided that when the required number of SC/ST candidates do not qualify in a competitive examination, even under relaxed standards, the cases of the failed candidates should be reviewed on the basis of their confidential records of service and overall performance in the examination. This review is carried out by a committee of senior officiers primarily to ascertain the suitability of the candidates for higher responsibility. Those candidates who are considered not unfit for promotion are allowed grace marks, wherever required, to bring them up to the qualifying standard.

Percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees

(1988-89)

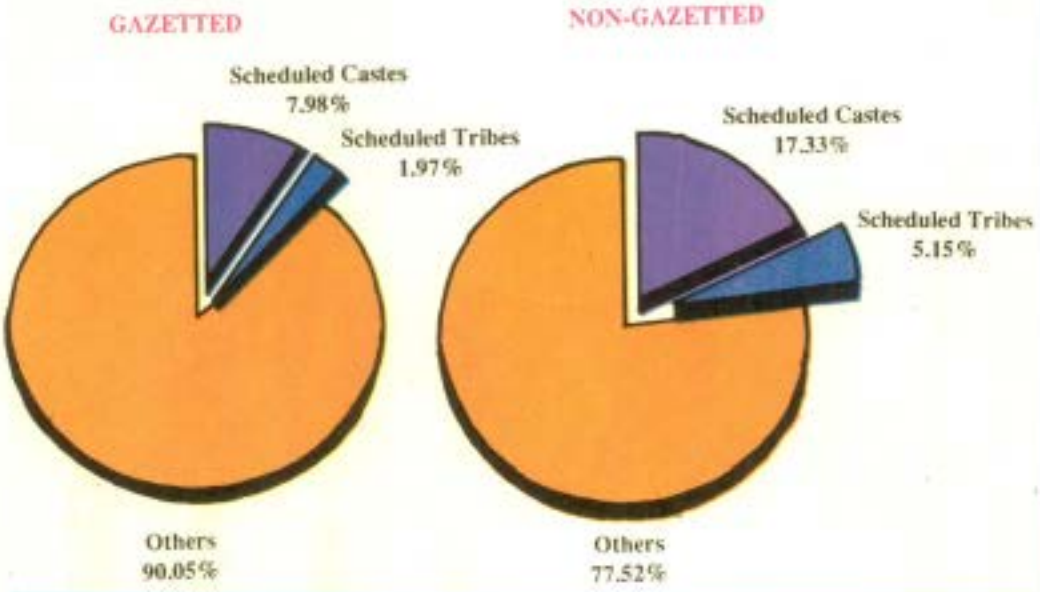

Minorities' Welfare

The Department has been implementing the Government policy in regard to minority welfare within the parameters of rules and regulations. Instructions were issued in 1979 and were repeated from time to time to ensure that a member belonging to a minority community should always be associated with Departmental Promotion Committees.

Work Study and Method Study

The Internal Work Study Unit carried out time and motion studies relating to norms for staff assessment in field units, work measurement, and method studies. The Internal Work Study Unit and the Efficiency Bureau assisted the Committee on Postal Excellence throughout the year. The Committee submitted an Interim Report in September.

The following studies were completed during the year 1988-89:

- A study of the pattern of mails posted by bulk mailers and possible improvement in mailing of bulk mails;
- Work study relating to evolution of norms for additional items of work in NSCs;
- Work Measurement Study of Training and EB cell and Pension Section;
- Method Study of Philately and Magazine Sections.

POSTAL FINANCES

From 1960-61 the Postal Service, which was earlier able to balance the revenue and expenditure, gradually started slipping into red. While the cost of operations kept on mounting, the rates of various postal services either remained static, or were raised only marginally, but were kept well below their economic cost. The consequential deficits were made good by the Telecommunications Service. With the bifurcation of the P&T Department from 1.1.85, the scope for cross subsidization of Postal Services from the surpluses of the Telecommunication Service within the Department has disappeared. The deficit in the operations of the Postal Services is now borne by the general exchequer.

During the last four years of our functioning as a separate Department, the Postal Services have incurred a net revenue deficit of Rs.163.5 crores, Rs.216.4 crores, Rs.190.8 crores and Rs.169.7 crores during the years 1985-86, 1986-87, 1987-88 and 1988-89 respectively.

In spite of the revision of the prices of a number of services from 1.1.87, the cost of various services continued to be higher than the revenue earned by them. The revenue in respect of almost all the major services was significantly lower than the direct costs. If the overhead costs on account of general administration, accounts, storage and distribution, etc. were allocated on the entire range of postal services, their costs would still be higher than the revenue earned by them.

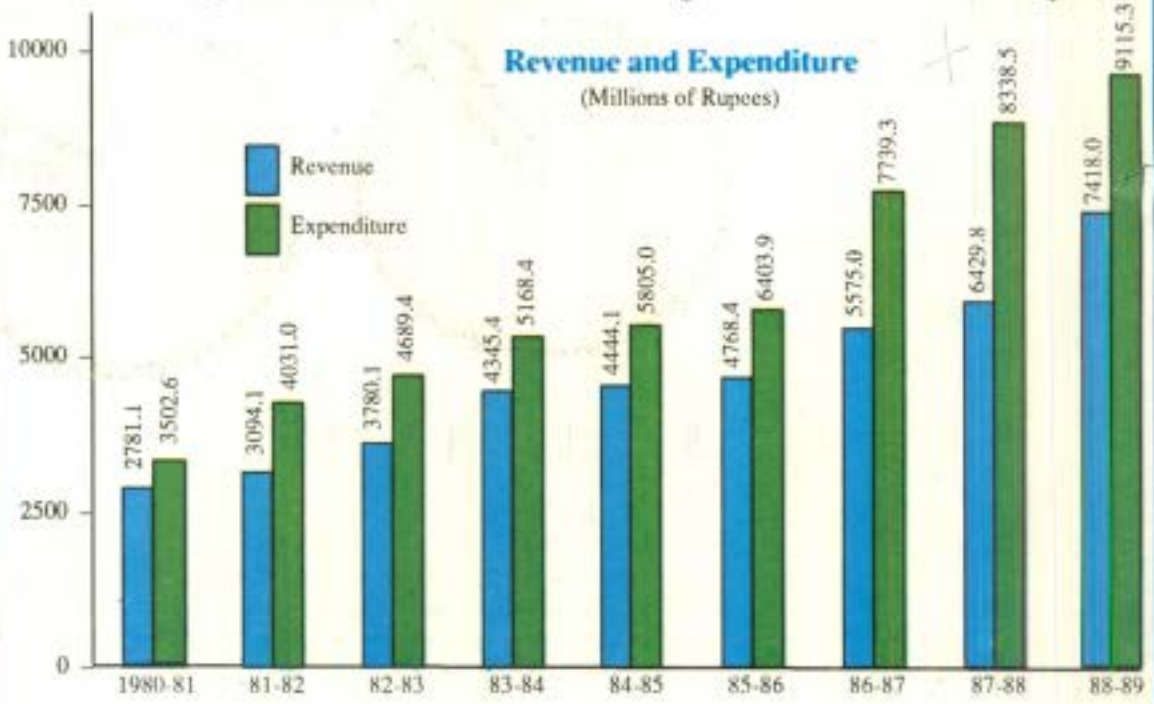

The total revenue earned during the year 1988-89 was Rs.741.8 crores which represented an increase in gross terms of Rs.98.8 crores and, in percentage terms, of 15.4 over the revenue earned during 1987-88. The revenue realised was 95.8% of the revenue estimated for the year.

The net working expenses during the year 1988-89 were Rs.911.5 crores, against the estimated expenditure of

REVENUE 1988-89

	Amount (in millions of Rs.)	*Percentage*
- Sale of stamps	4153.8	55.99
- Postage realised in cash	1255.9	16.93
- Commission on account of Money Orders and Indian Postal Orders	1008.9	13.60
- Other receipts	999.9	13.48

EXPENDITURE 1988-89

	Amount (in millions of Rs.)	*Percentage*
- General Administration	729.2	8.00
- Operation	6084.5	66.75
- Agency Services	288.9	3.17
- Others	2012.7	22.08

The gross revenue expenditure in important categories is given below:

	Amount (in lakhs of Rs.)	*Percentage*
- Pay and Allowances, Contigencies, Interim Relief and other items	862.60	79.43
- Accounts and Audit	25.76	2.37
- Pensionary charges	99.89	9.20
- Stamps, postcards	35.54	3.27
- Stationery and Printing, etc.	10.25	0.96
- Maintenance of assets, etc.	5.74	0.53
- Petty works	1.45	0.13
- Conveyance of mails (Payment to Railways and Airmail Carriers)	44.63	4.11

Rs.863.01 crores, representing an increase of Rs.48.5 crores, which is mainly due to increase in the rates of minimum wages following a Supreme Court decision and revision of minimum pension and family pension. The deficit for 1988-89 was Rs.169.7 crores which was less by Rs.21.1 crores compared to the deficit of Rs. 190.8 crores for the year 1987-88.

The gross outlay on fixed assets during the year was Rs.33.7 crores (96.08% on land and buildings and 3.92% on apparatus, plants and others). Capital outlay on fixed assets rose to Rs.360.3 crores at the end of the year. The net progressive capital outlay to the end of the year financed from General Revenue was Rs.295.2 crores.

Revenue and Expenditure For the Year 1988-89

Revenue **Rs. 7418·0 Millions**

Others	13.48%
Commission on Money Orders and Indian Postal Orders	13.60%
Postage in cash	16.93%
Sale of stamps	55.99%

Expenditure **Rs. 9115·3 Millions**

Agency Services	3.17%
General Administration	8.00%
Others	22.08%
Operations	66.75%

Capital Outlay

For 1988-89 **Rs. 337.1 Millions**

Apparatus Plants and Others	0.15%
Mail Motor Vehicles	3.77%
Land and Building	96.08%
RMS Vans	Nil

Upto 1988-89 **Rs. 3603.9 Millions**

Mail Motor Vehicles	1.36%
RMS Vans	2.39%
Apparatus Plants and Others	3.62%
Land and Building	92.63%

MANAGEMENT

Organisation

The Department of Posts which was created after the bifurcation of erstwhile Directorate General of Posts and Telegraphs in January 1985 is a part of the Ministry of Communications. During the period under review, the Ministry of Communications was under the charge of Minister for Communications, Late Shri Bir Bahadur Singh and the Minister of State for Communications, Shri Giridhar Gomango.

The apex body of the Department is the Postal Services Board which is responsible for taking policy decisions and their implementation at the field level. The Postal Services Board was constituted just after the bifurcation of DGP&T in January 1985. Secretary, Department of Posts heads this apex body as chairman. He is assisted by four members of the Board, who are ex-officio Additional Secretaries to the Government of India. There is a Secretary to the Board who is of the rank of Joint Secretary to the Government of India. The Chairman of the Board is also D.G. (Posts) and Secretary to the Government of India.

Three levels of Senior Officers, Deputy Director General (DDG), Director and Assistant Director General (ADG) assist the Board in helping it in its day to day working. The functional units (Postal Circles) are headed by a Senior Administrative Grade (SAG) officer of the rank of Chief Postmaster General (CPMG)/Postmaster General (PMG). The Circles are responsible for implementation of the decisions taken by the Board. To assist CPMG/PMG in discharging his duty two or three Junior Administrative Grade (JAG) officers (Director of Postal Services) are put under his direct control. Down the ladder are the officers from Senior Time Scale and Junior Time Scale Group 'A' and officers from Group 'B' who are incharge of field formations. At present there are 29 Units directly reporting to the Department of Posts. These are shown below:

Postal Circls	19
Controller Foreign Mails	1
Postal Staff College	1
Postal Training Centres	5
Army Postal Directorate	1
Postal Life Insurance Directorate	1
Chief Engineer	1

Establishment

Shri R.K. Saiyed, an officer of the Indian Postal Service, took over as Director General Posts, Chairman of the Postal Services Board and Secretary to the Government of India, Department of Posts, on 2nd Feb 1989 vide Shri P.S. Raghavachari who retired from service after a long and distinguished career.

As on 31st March 1989, Shri S. Krishnan, Member (Finance), Shri Kailash Prakash, Member (Personnel), Shri R.N. Dey, Member (Operation) and Shri Ajoy Bagchi, Member (Development) were the members of the Postal Services Board. Shri R.C. Gupta held the post of Secretary (Postal Services Board) during the period under review.

Vigilance

Administrative vigilance in its preventive, investigative and disciplinary aspects is effectively enforced by a well organised mechanism located both at the Central Head Quarters and in the field circles. During the year of review, 594 complaints of corruption and other misconduct were dealt with. Complaints against three non-gazetted officers (NGOs) were enquired into by the CBI, while complaints against 83 gazetted officers and 324 NGOs were investigated departmentally. Prosecution has been initiated in the case of two gazetted officers and six NGOs. Besides, major penalty proceedings were initiated against 14 gazetted officers and 76 NGOs. Minor penalty proceedings were initiated against 28 gazetted officers and 79 NGOs. On conclusion of proceedings, appropriate penalties were imposed on 24 gazetted officers and 116 NGOs.

Use of Hindi in Official Work

The Department made concerted efforts to ensure maximum use of Hindi as Official language in the Directorate and its subordinate offices. The Hindi Advisory Committee of the Directorate could meet only once during the year but the Official Language Implementation Committee of the Directorate met five times to review the progress made in the use of Hindi in the Directorate and its subordinate offices.

Two Hindi workshops were organised in the Directorate during the year under review. Hindi Week was also organised from 14th September, 1989. On this occasion, various competitions were organised and cash prizes were awarded to the winners. Besides, the scheme for awarding Rajbhasha Shield was started in the Department. Under this scheme, three sections were selected wherein maximum work was done in Hindi. Training in Hindi medium is being imparted at all the training centres of the Department. The Department went on making efforts throughout the year to achieve the targets prescribed in the Annual Programme of 1988-89 by Ministry of Home Affairs (Dept. of Official Language).

ACTIVITIES (1.4.1989 - 31.12.1989)

The emphasis was on both improvement and expansion of postal operations. While the expansion of postal network in the rural sector continued, efforts were intensified to tone up efficiency of the rural post offices by intensive monitoring. A total of 1760 post offices were opened during this period of which 1687 were Extra-Departmental Branch Offices and 73 were Departmental Sub-Offices.

In the urban sector further improvement and expansion in Postal Operations were achieved by opening 7 new Speed Post Centres all over the country both for domestic as well as for International Speed Post Mail. International Speed Post Merchandise Service was introduced with Singapore, Norway, Republic of Korea, Portugal and Oman and document Speed Post Service with Qatar with effect from 1.5.1989.

In order to improve and maintain efficiency in transmission of mails 50 new MMS vehicles were acquired to replace condemned vehicles.

India continued to play a leading role in International Postal Affairs. At the 20th Congress of the UPU held in Washington D.C. from 13.11.1989 to 14.12.1989 a six-member delegation led by Secretary, Department of Post, represented India at the Congress. It is also significant that Shri K.R. Murthy, former Secretary of the Department of Posts, was unanimously nominated as the Doyen of the Congress. This is the first time in the history of the UPU that the Doyen was from a country other than Europe and North America. The Congress is held once every five years to amend or change rules and procedures relating to International Postal Services and to decide on the principles of the technical cooperation policies for the next five years period. Another creditable achievement of India was the successful conduct of the Meeting of Committee No. 5 of the Congress under the Chairmanship of India. This Committee dealt with very important and sensitive issues such as postal charges, international letter post items, terminal dues, transit charges, new classification system of letter post items, remaining etc. In recognition of the active role played by India in International Postal Affairs, India was nominated Chairman of Committee No.7 of the Consultative Council for Postal Studies elected by the Washington Congress. India has also continued to play an active and constructive role as Member of the Executive Council and the Consultative Council for Postal Studies of the UPU and also as Member of the Asian Pacific Postal Union (APPU) and the Chairman of the Standing Committee on Technical Cooperation and Assistance of the APPU.

India also hosted a Congress on International Postal Services in the SAARC Programme of activities in July-August 1989. All the SAARC countries were represented at this course. Several Indian experts were also sent as consultants on short-term assignments to several developing countries. The Postal Staff College of India also hosted a UPU/UNDP course on "Modernisation of Management and Operations" for senior officers of the Postal Administration of the Asian-Pacific countries in April/May, 1989.

During the year 1989, India participated in three international exhibitions, namely, PHILEX FRANCE '89 in France, THAIPEX-89 in Thailand and World Stamp EXPO in USA. IN conformity with the tradition set up by the Department to issue special/ commemorative stamps on themes related to Wild Life, Indian Culture and Geographical and Historical Featutres, stamps were brought out on the state Museum Lucknow, Dargah Sharif, Ajmer

,Indian Cinema, the Rare Bird Likh Florican and100 years of Oil. Special Concellation was provided to celebrate the Bicentennial of the French Revolution. This was reciprocated through a similar issue by the French Postal Administration. Similarly, a commemorative stamp on Mustafa Kemal Ataturk was reciprocated by Turkish Post Office through the issue of a commemorative stamp on Jawahar Lal Nehru.

There has also been commmendable activity in the field of commercial publicity by the printing of advertisement on various items of postal stationery such as post-cards, Indian letter cards, Aerogrammes, MO forms etc. A revenue of about Rs. 30 lakhs has been earned during the period April,1989 to March,1990. The publicity Cell also conducted two letter writing competitions successfully, one organised by UPU and the other by SAARC.

With the emphasis being on modernisation of postal services the Department introduced Electronic Weighing Scales as well as Electronic Multi-purpose Counter Machines in selected Post Offices. The efforts are also on to bring about improvement in method of production and quality of mettallic postal seals and stamps.

A new series of National Saving Certificates (NSC VIIIth issue) was introduced w.e.f. 8th May, 1989. The maturity period of the certificate is six years and it carries interest of 12% compounded half-yearly and payable on maturity after six years. The amount invested qualifies for rebate in Income-tax under Section 80(c) of the income-tax Act.

1,889 officials working in SB/SC branches of post offices were imparted special Saving Bank training upto September, 1989.

Building activities were another important area which received attention.Of the on-going construction of 336 post office buildings and 860 staff-quarters about 86 office buildings and 282 staff quarters were completed during this period while projects for construction of 67 new office buildings and 106 staff quarters were commenced.

In September,1989 a Conference of all Heads of Circles was convened in New Delhi. The Conference provided an opportunity to the senior management of the Department to meet and deliberate upon the different activities of the Postal Department and discuss the expectation of the Department from its senior management level with regard to proper implementation of policy and increasing the efficiency as well as discuss the practical difficulties experienced by Heads of Circles in the field and their possible solutions.

A Round Table was also organised on 14.10.1989 during the National Postal Week in which senior Govt. officials as well as eminent representatives of various Trade and Commerce Organisations were present. The main thrust of the discussions during the conference was the need to further improve the postal service in order to make it responsive to consumer satisfaction.

On 14th October, 1989 the prestigious "Meghdoot Award" which is given in recognition of performance of a high standard was also presented to nine officials.

The Post Offices also played an important role during the General Elections held in November,89 and a large number of Postal Ballot Papers were handled speedily and delivered in time to Returning Officers. Special Postal facilities were also provided to Election officers, Political parties and candidates all over the country.

Statistical Supplements

TABLE 1

Financial Working	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
					(Rupees in Crores)
Receipts	444.41	476.84	557.50	642.98	741.80
Expenditure					
General					
Administration	46.36	53.82	60.28	68.67	72.91
Operation	463.00	520.15	664.22	754.22	775.64
Agency Services	24.89	23.89	27.60	32.81	38.47
Research & Development	–	–	–	–	–
Audit and Accounts	14.94	15.87	19.56	23.10	25.76
Engineering Maintenance	11.40	11.26	12.18	13.03	14.50
Amenities to Staff	7.09	7.35	8.56	7.93	11.30
Pensionary Charges	37.06	49.10	61.95	96.34	99.89
Stamps, Stationery and Printing	28.72	43.23	44.39	30.36	46.61
Depreciation	2.20	2.99	3.81	4.36	4.87
Supplementary Depreciation	–	–	–	–	–
International Cooperation	0.31	0.39	0.55	0.66	0.66
Social Security and Welfare Programmes	0.10	0.14	0.09	0.12	0.12
Credits to Working Expenses	67.41	87.80	129.26	197.75	179.20
Net Working Expenses	568.66	640.39	773.93	833.85	911.53
Net Receipts	(–)124.25	(–)163.55	(–)216.43	(–)190.87	(–)169.73
Dividend to General Revenues	11.84	–	–	–	–
Surplus (+)/Deficit(–)	(–)136.09	(–)163.55	(–)216.43	(–)190.87	(–)169.73

TABLE 2

Capital outlay during and upto the end of 1988-89

Fixed Assets

Other Assets	(Rupees in Crores)
1. Land	5.51 **36.58**
2. Buildings	26.88 **297.24**
3. Railway Mail Vans owned by Post Offices	– **8.61**
4. Apparatus and Plant	0.05 **13.02**
5. Motor Vehicles	1.27 **4.93**
6. General Administration/Direction & Execution Establishment and other charges etc.	– –
7. Other Expenditure	– **0.01**
8. Gross Fixed Assets	33.71 **360.39**
9. Deduct-Receipts and Recoveries on Capital Account	0.04 **0.55**
10. Total Fixed Assets (i.e. total of items 1 to 7)	33.67 **359.84**
11. Deduct-Expenditure met from Posts and Telegraphs Capital Reserve Fund	– **1.29**
12. Deduct-Amount of Contribution from Revenue	– **27.86**
13. Deduct-Depreciaiton on historical cost transferred from Revenue	4.86 **35.43**
14. Total Deductions (i.e. total of items 11 to 13)	4.86 **64.58**
15. Net Fixed Assets (i.e. item 10 minus 14)	28.81 **295.26**
16. Total Dividend bearing Capital outlay	28.81 **295.26**
17. Deduct-Portion of Capital outlay financed from ordinary Revenue	– **1.05**
18. Total Capital outlay (Voted) (i.e. item 16 minus 17)	28.81 **294.21**

Note: Figures in bold are for Total Capital outlay.

TABLE 3

Number of Post Offices As On 31st March, 1989

States/Union Territories	Urban	Rural	Total	Population served by a post Office (1981 census)	Area served by a post Office (sq. kms.)
1. Andhra Pradesh	1492	14674	16166	3312	17.01
2. Assam	256	3092	3348	5943	23.43
3. Arunanchal Pradesh	9	231	240	2632	34892
4. Bihar	580	10397	10977	6369	15.85
5. Goa	56	163	219	4601	16.90
6. Gujarat	942	7638	8580	3973	22.85
7. Haryana	308	2177	2485	5200	17.79
8. Himachal Pradesh	99	2343	2442	1753	22.80
9. Jammu & Kashmir	195	1333	1528	3918	145.44
10. Karnataka	1313	8293	9606	3866	19.96
11. Kerala	688	4080	4768	5338	8.75
12. Madhya Pradesh	1070	9524	10594	4925	41.85
13. Maharashtra	1436	10171	11607	5400	26.50
14. Manipur	8	534	542	2621	41.19
15. Meghalaya	30	387	417	3203	53.78
16. Mizoram	37	259	296	1668	71.21
17. Nagaland	19	238	257	3015	64.50
18. Orissa	540	7003	7543	3496	20.65
19. Punjab	450	3287	3737	4492	13.47
20. Rajasthan	807	8918	9725	3522	35.19
21. Sikkim	13	114	127	2491	55.87
22. Tamil Nadu	2097	9817	11914	4062	10.91
23. Tripura	47	587	634	3238	16.53
24. Uttar Pradesh	2094	16358	18452	6008	15.95
25. West Bengal	1092	7116	8208	6649	1081
Union Territories					
1. Andaman & Nicobar Islands	12	78	90	2096	92.00
2. Chandigarh	39	6	45	10036	2.53
3. Delhi	418	115	533	11670	2.77
4. Dadra & Nagar Haveli	1	31	32	3240	15.34
5. Daman & Diu	4	14	18	4387	6.22
6. Lakshadweep	–	10	10	4025	3.20
7. Pondicherry	41	57	98	6168	5.02
Total:	16193	129045	145238	4718	22.63

TABLE 4
SAVINGS BANK

I. General	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
No. of Accounts of savings all types (in million)	71.95	90.85	77.50	73.92	80.93
Outstanding balances in all forms of National Savings (Rs. in million)	172070	214570	247540	284007	338974
II. Details of Accounts					
SB	41339798	41741882	42196243	43869397	45033439
PPF	25657	26410	29542	41993	64039
CTD	4634302	5171638	5455395	5195223	5677125
RD	24601853	42727050	28647935	23604282	28285179
TD	1313888	1154821	1170339	1015782	988403
FD*	38367	37877	37372	196929	889302
Total:	71953865	90859678	77536826	73923606	80937487
III. Outstanding					
Balance in Savings A/cs. (Rs. in millions)	101696.80	114516.80	113020.00	115763.20	125017.50
Outstanding Balance in all Types of certificates (in million)	70503.00	98870.20	134520.60	167903.0	213399.40
Outstanding balance in PPF A/cs. (in million)	–	–	–	341.70	557.60

*includes Monthly Income Scheme and National Saving Scheme for 1987-88 and 1988-89.

TABLE 5
Post Life Insurance

Year	New Business		Total Business in force		Life Insurance Fund (Rs. in crores)
	No. of Policy	Sum assured (Rs. in crores)	No. of Policy	Sum assured (Rs. in crores)	
1979-80	1,08,975	83.1	7,31,734	394.9	105.7
1980-81	1,20,170	102.1	8,36,455	491.8	129.7
1981-82	1,12,703	106.9	9,30,007	590.4	157.3
1982-83	1,05,157	108.4	10,06,910	685.3	190.6
1983-84	1,17,473	143.0	10,84,172	809.4	223.9
1984-85	1,11,637	153.0	11,56,497	942.8	260.6
1985-86	1,01,168	160.4	12,15,981	1070.9	307.2
1986-87	1,03,253	179.3	12,81,425	1227.6	368.9
1987-88	1,19,866	232.9	13,61,532	1439.3	446.1
1988-89	1,36,508	294.9	14,58,133	1711.5	534.5

TABLE 6

Personnel Actual Strength (including those on deputation and training outside the Department) as on 31.3.1989

Gazetted

	Group A	Group B	Total
Secretary (Posts)	1	–	1
Members, Postal Services Board	4	–	4
Secretary, Postal Services Board	1	–	1
Indian Postal Service			
Senior Administrative Grade	65	–	65
Junior Administrative Grade	116	–	116
Senior Time Scale	170	–	170
Junior Time Scale	34	–	34
Postal Service	–	905	905
Postmaster's Service	4	–	4
P&T Accounts & Finance Service			
Senior Administrative Grade	1	–	1
Junior Administrative Grade	10	–	10
Senior Time Scale	25	–	25
Junior Time Scale	19	–	19
Accounts Officers	–	293	293
Asstt. Accounts Officers	–	32	32
Central Secretariat Service			
Senior Time Scale	4	–	4
Junior Analysts	–	3	3
Section Officers	–	25	25
Private Secretaries (Grade A)	–	1	1
Senior Personal Assistance (Grade B)	–	22	22
Desk Officers	–	12	12
Civil Wing			
Chief Engineer	1	–	1
Group 'A'	62	–	62
Group 'B'	–	191	191
Other General Central Services	173	55	228
Total:	690	1539	2229

Non-Gazetted

	Group A	Group B	Total
Directorate			
Audit & Accounts	46	11	57
Others	398	128	526
Postal			
Audit & Accounts	4923	518	5441
Others	189903	32881	222784
Railway Mail Service	27555	19696	47251
Mail Motor Service	2177	652	2829
Returned Letter Offices	798	92	890
Postal Life Insurance	218	29	247

continued

Stores	1217	1736	2953
Training Centres	102	165	267
Civil Engineering Wing	1420	829	2249
P&T Dispensaries	349	349	698
Total:	229106	57086	286192
Extra Departmental			298890

SUMMARY

	Gaazetted	Non-gazetted	Others	Total
Departmental	2229	286192	–	288421
Extra Departmental	–	–	298890	298890
Total:	2229	286192	298890	587311

TABLE 7

Number of Employees - Scheduled Castes/Tribes as on 31-3-1989

	Scheduled Castes	Percentage to Total No. of employees	Scheduled Tribes	Percentage to Total No. of employees
Group 'A'	41	5.94	22	3.19
Group 'B'	137	8.90	22	1.43
Group 'C'	38770	16.92	11615	5.06
Group 'D' (Excluding sweepers)	10151	22.77	3076	6.90
Group 'D' (sweepers)	694	38.06	50	2.74

49099 14735

TABLE 8

Number of Employees - Ex-servicemen as on 31-3-1989

	Ex-service men	Percentage to Total No. of employees	Disabled Ex-service man	Percentage to Total No. of employees
Group 'A'	2	0.28	–	* –
Group 'B'	1	0.06	–	–
Group 'C'	2344	1.02	60	0.02
Group 'D'	569	0.99	20	0.03

Photograph of Pattanacaud Rural Model Post Office

Public Hall and Counters of Pattanacaud Rural Model Post Office

Winner of Meghdoot Awards of 1989

Printed by DHOOMI MAL PRINTERS, New Delhi - 110005, Phone: 5729206